

नैगम अभिशासन पर रिपोर्ट

1. बैंक सभी क्षेत्रों में विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन कर रहा है।
2. बैंक का नैगम दर्शन अपने ग्राहकों, अंशधारकों को उनके विश्वसनीय और मैत्रीपूर्ण वित्तीय भागीदार के रूप में सेवा प्रदान करना है।
3. बैंक का लक्ष्य एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में अपनी स्थिति को मज़बूत करना तथा एक सुदृढ़, गतिशील, संवेदनशील एवं प्रतियोगी वित्तीय संस्था के रूप में उभरना है।
4. बैंक ने अपने सभी कार्यक्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने नैगम दर्शन का मनसा, वाचा, कर्मणा अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक के पास नैगम अभिशासन की एक प्रभावी एवं पारदर्शी प्रणाली बनाई है, जो व्यावसायिक निदेशक मंडल द्वारा संचालित है। नैगम अभिशासन के हिस्से के रूप में बैंक सर्वोत्तम कारोबारी उपाय अपनाने का प्रयास करता है जिससे कि संस्था नवोन्मेष एवं उच्च दर्जे के बाज़ार संवेदी और ग्राहक उन्मुख बैंकिंग उत्पाद और सेवाएं प्रदान करके प्रतिस्पर्धात्मक स्वरूप बनाए रख सके।
5. शानदार इतिहास की पृष्ठभूमि पर एक प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था के रूप में विश्वास हासिल करते हुए बैंक में लेखांकन एवं सामान्य अभिशासन में अत्यंत ऊंचे स्तर के नैतिक मानदंड अपनाए गए हैं।
6. बैंक अपने लिए संपत्ति और संसाधनों को जुटाने, उनका संरक्षण करने तथा उनकी वृद्धि करने के लिए और अपने निष्पादन को ठीक समय पर तथा पारदर्शी ढंग से रिपोर्ट करने के संबंध में अपने सभी निवेशकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करता है।
7. बैंक में एक सुपरिभाषित नीति संहिता है, जो निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन पर लागू होती है।

नैगम सामाजिक जिम्मेदारी

बैंक ने बाढ़ और अत्यधिक वर्षा से प्रभावित कर्नाटक के अपने अग्रणी जिलों में यानि बिजापुर, बागलकोट, बल्लारी और उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित 2 गाँवों में अपनी नैगम सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में राहत प्रदान की है।

निदेशक मंडल

निदेशक मंडल, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9(3) और केन्द्र सरकार के राजपत्र अधिसूचना संदर्भ सं. एफ. 4/1/94 बी.ओ.आई (1) दिनांक 3-4-1995 के अनुसार गठित किया गया है जिसका संशोधन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 के जरिए किया गया है।

संप्रति, मंडल में केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त 3 पूर्णकालिक निदेशक अर्थात अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा 2 कार्यपालक निदेशक, भा.रि.बैं. द्वारा नामित 1 निदेशक, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3) (एच) के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित एक निदेशक और तीन चयनित शेरधारक निदेशक हैं। बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक को छोड़कर अन्य सभी निदेशक गैर-कार्यकारी निदेशक हैं। अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक, श्री वी. के. नागर मंडल की अध्यक्षता करते हैं। बैंक का सामान्य पर्यवेक्षण, निदेश, कारोबार एवं कार्यों का प्रबन्धन बैंक के निदेशक मंडल में निहित है।

बैंक के निदेशक मंडल का वर्तमान संघटन एवं श्रेणी निम्नानुसार प्रस्तुत है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	शैक्षणिक योग्यता	निदेशक पद का संवर्ग	कार्यग्रहण की तारीख
1.	श्री बसंत सेठ	बी.एससी., सनदी लेखाकार, बैंक प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	31-08-2009
2.	श्री वी. के. नागर	बी.ई. (टेक्स्ट), एम.बी.ए., पी.जी. डिप्लोमा इन मार्केटिंग (सेल्स मैनेजमेंट)	कार्यपालक निदेशक	08-10-2008
3.	श्री आर. रामचंद्रन	पोस्ट ग्रेजुएट इन साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनांशियल मैनेजमेंट	कार्यपालक निदेशक	19-12-2008
4.	श्री के. सीतारामु	बी.एससी., सीएआईआई बी	भा.रि.बैं. नामिती प्रावधान 3(सी)	27-02-2007
5.	श्री रमेश एल. अडिगे	बी.ई. (ऑनर्स), एम.बी.ए. मार्केटिंग में विशेषज्ञता	भारत सरकार नामिती प्रावधान 3(एच)	10-07-2008
6.	श्री एम. भास्कर राव	बी.कॉम., एफ.सी.ए.	शेयरधारक निदेशक प्रावधान 3(आई)	27-06-2009*
7.	श्री एआर नागप्पन	एम.एससी.	शेयरधारक निदेशक प्रावधान 3(आई)	27-06-2009*
8.	श्री भूपिन्दर सिंह सूरी	डिप्लोमा इन ऑटोमोबाईल इंजीनियरिंग	शेयरधारक निदेशक प्रावधान 3(आई)	27-06-2009*

* दि. 23-06-2009 को शेयरधारक निदेशक के रूप में उनकी अवधि समाप्त होने पर दि. 27-06-2009 से तीन शेयरधारक निदेशकों को दूसरी अवधि के लिए पुनः चयनित किया गया।

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

- 1) The Bank has been scrupulously ensuring compliance with norms laid down by regulatory authorities in all areas. The Bank has always been proactive in adopting as well as practicing good Corporate Governance.
- 2) The Corporate philosophy of the Bank is to serve its constituents and stakeholders as a faithful and friendly financial partner.
- 3) The mission of the Bank is to consolidate its position as a premier Public Sector Bank and emerge as a strong, vibrant, responsive and competitive financial institution, which participates effectively in nation building.
- 4) To ensure that the corporate philosophy of the Bank is practiced in spirit and letter in all the functional areas of the Bank for fulfilling the mission adopted, the Bank has an effective and transparent system of Corporate Governance driven by a professional Board. As part of the corporate governance, the Bank strives to adopt the best business practices that can enable the Institution to retain its competitive edge through innovation and highest standards of delivery of market responsive and customer centric banking products and services
- 5) Conscious of the trust enjoyed by it as a public Institution with a proud history, the Bank maintains high ethical standards in accounting and general governance.
- 6) The Bank recognizes its accountability to all stakeholders of the Bank for creating, protecting and enhancing wealth and resources for the Bank and reporting to them on its performance in a timely and transparent manner.
- 7) The Bank has laid down a well-defined Code of Conduct, which is applicable to all the members of the Board and Senior Management.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

The Bank in its Lead Districts of Karnataka viz. in Bijapur, Bagalkot, Bellary and Uttara Kannada districts, which were severely affected by floods and excess rains, provided relief as part of Corporate Social Responsibility in 2 villages each in these districts.

BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors has been constituted in accordance with Section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 and as per the Central Government Gazette Notification No. F 4/1/94-BO.I(1) dated 3-4-1995 as amended vide Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006.

Presently, the Board comprises of Three whole-time directors - the Chairman & Managing Director and the Two Executive Directors – appointed by Central Government, one RBI Nominee Director, one Director nominated by the Central Government under Section 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 and Three Elected Shareholder Directors. All the Directors of the Bank, except the Chairman & Managing Director and the Executive Directors, are non-Executive Directors. The Chairman & Managing Director or in his absence the Executive Director, Shri V. K. Nagar, presides over the Board. The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Bank are vested in the Board of Directors of the Bank.

The present composition and category of the Board of Directors of the Bank are furnished below:

Sl. No.	Name of the Director	Qualifications	Category of Directorship	Date of assuming Office
1.	Shri Basant Seth	B.Sc., Chartered Accountant, PG Diploma in Bank Management	Chairman & Managing Director	31-08-2009
2.	Shri V. K. Nagar	B. Text., MBA, PG Diploma in Marketing (Sales Management)	Executive Director	08-10-2008
3.	Shri R. Ramachandran	Post Graduate in Science with Post Graduate Diploma in Financial Management	Executive Director	19-12-2008
4.	Shri K. Seetharamu	B.Sc., CAIIB	RBI Nominee Clause 3(c)	27-02-2007
5.	Shri Ramesh L. Adige	BE (Hons.), MBA with specialization in Marketing	GOI Nominee Clause 3(h)	10-07-2008
6.	Shri M. Bhaskara Rao	B.Com., FCA	Shareholder Director Clause 3(i)	27-06-2009 *
7.	Shri AR Nagappan	M.Sc.	Shareholder Director Clause 3(i)	27-06-2009 *
8.	Shri Bhupinder Singh Suri	Diploma in Automobile Engg.	Shareholder Director Clause 3(i)	27-06-2009 *

* On expiry of their tenure as Shareholder Directors as on 23-06-2009, the Three Shareholder Directors were re-elected to the Board w.e.f. 27-06-2009 for the second term.

उन निदेशकों का संक्षिप्त जीवनवृत्त जो दि. 31-03-2009 को तुलन-पत्र हस्ताक्षरित होने के बाद निदेशक मंडल में शामिल/नियुक्त हुए हैं ।

श्री बसंत सेठ

श्री बसंत सेठ एक व्यावसायिक बैंकर हैं, उनके पास 35 वर्षों का पर्याप्त अनुभव है। उन्होंने दि 31-08-2009 को सिंडिकेट बैंक में कार्यग्रहण किया। इससे पूर्व 1 मार्च 2007 से वे भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक (सिडबी) में पूर्णकालिक निदेशक (उप प्रबंध निदेशक के रूप में पदनामित) के पद पर कार्यरत थे जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कार्यपालक निदेशक के समान बोर्ड स्तर पर नियुक्त पद है।

उन्होंने अपने बैंकिंग जीवन की शुरुआत अप्रैल 1974 में बैंक ऑफ इण्डिया में सीधी भर्ती द्वारा अधिकारी के रूप में की थी। उन्होंने विदेश में तथा प्रशासनिक कार्यालय सहित क्षेत्र स्तर पर विभिन्न पदों पर कार्य किए हैं। वे, इण्डो जांबियन बैंक, जो जांबिया सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है तथा हाँगकाँग में स्थित कॉमनवेल्थ फाइनॉन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल में बैंक के नामिती निदेशक थे।

श्री बसंत सेठ ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में विज्ञान विषय लेकर स्नातक उपाधि प्राप्त की है और वे एक अर्हता प्राप्त सनदी लेखाकार हैं। उन्होंने नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, पुणे से बैंक प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है।

उन्होंने ऑडिटिंग और एश्योरेन्स स्टैंडर्ड बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य किया है और साथ ही उन्होंने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा गठित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक संबंधी अध्ययन दल तथा भारतीय बैंक संघ द्वारा गठित कराधान समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है।

श्री मोचेर्ल भास्कर राव

श्री मोचेर्ल भास्कर राव कॉमर्स में स्नातक तथा सनदी लेखाकार हैं। वे वर्ष 1961 से सनदी लेखाकार की प्रैक्टिस कर रहे हैं तथा एम. भास्कर राव एण्ड कंपनी के वरिष्ठ पार्टनर हैं।

बैंकिंग रेगुलेटर की तरफ से उन्होंने निरीक्षण का कार्य संपन्न किया है। इन्होंने भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का विशेष निरीक्षण किया है तथा नेडुंगाडी बैंक का पंजाब नेशनल बैंक के साथ विलयन संबंधी औपचारिकताओं को पूरा किया है।

वे पंजाब नेशनल बैंक में वर्ष 1995 से 2000 तक भारत सरकार के नामित निदेशक रहे हैं। वे पंजाब नेशनल बैंक की लेखा-परीक्षा समिति के अध्यक्ष तथा प्रबंधन समिति के सदस्य रहे हैं।

उनकी बासल II संस्तुतियों की गहरी समझ एवं जोखिम आधारित पर्यवेक्षण की लेखा समिति के नेतृत्व का लाभ कई बैंकिंग संस्थाओं, जैसे, आइ एन जी वैश्या - जोखिम आधारित लेखा, आइ सी आइ सी आइ की एस ओ एक्स अनुपालन तथा आइ एन जी वैश्या एवं आइ सी आइ सी आइ को ऋण अनुप्रवर्तन के मामले में मिला है।

प्रोफेशनल प्रैक्टिस की अवधि के दौरान (फर्म की तरफ से) वे भारतीय जीवन बीमा निगम के मंडल, आंचलिक और सेन्ट्रल लेखा-परीक्षक रहे हैं। वर्तमान में वे आंतरिक लेखा-परीक्षक के रूप में आइआरडीए से जुड़े हुए हैं और उन्होंने बीमा परिदृश्य में हो रहे परिवर्तन की बड़ी अच्छी समझ विकसित की है। वे बीमा एवं जोखिम प्रबंधन संस्थान से सांविधिक लेखा-परीक्षक के रूप में जुड़े हुए हैं जो आइ आर डी ए द्वारा प्रवर्तित एक अकादमिक और शोध संस्थान है।

अपने व्यावसायिक कैरियर के दौरान वित्तीय संस्थाओं के हित की दृष्टि से उन्होंने उनके कई बोर्डों में विभिन्न विनियामकों यथा, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, आइ आर डी ए की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है।

श्री एआर नागप्पन

श्री एआर नागप्पन ने विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। उनके पास बैंकिंग का 36 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने इंडियन बैंक में वर्ष 1970 में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में कार्यग्रहण किया। इंडियन बैंक में अपनी सेवा के दौरान उन्होंने विभिन्न परिचालन स्तरों का नेतृत्व किया। वर्ष 1998 में बैंक का महाप्रबंधक बनने के बाद एक वर्ष तक वे बैंक के निरीक्षण विभाग के प्रमुख रहे। वर्ष 1999 से वे बैंक के कार्मिक/अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग/कोष परिचालन/लेखा और इंडियन बैंक की अनुपंगियों के प्रधान के रूप में कार्य कर रहे हैं। इंडियन बैंक में उसकी “पुनः संरचना योजना” बनाने एवं उसे कार्यान्वित करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है जिससे बैंक की कायापलट होने में मदद मिली है।

भारतीय बैंक संघ की कार्मिक समिति के साथ-साथ उसकी कई अन्य समितियों के भी वे सदस्य रहे हैं।

इन्होंने इंडियन ओवरसीज़ बैंक में दिनांक 27 अगस्त 2004 से 30 अप्रैल 2006 तक कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्य किया है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक की आधारभूत संरचना को मजबूती दिलाने में इनकी महती भूमिका रही है, जिसके कारण एक अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सी स्टैंडर्ड एण्ड पुअर ने बैंक को बीबी+ का दर्जा प्रदान किया है।

इन्होंने उन्नत प्रशिक्षण हेतु सरकारी कार्यों के सिलसिले में विभिन्न एशियन, अफ्रीकन एवं यूरोपियन देशों का दौरा किया है।

श्री भूपिन्दर सिंह सूरी

श्री भूपिन्दर सिंह सूरी ने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया है।

A brief bio-data of directors, who joined the Board/are appointed after signing the Balance Sheet as on 31-03-2009, is given below:

Shri Basant Seth

Shri Basant Seth is a professional Banker with a rich experience of over 35 years. He has taken over reins of Syndicate Bank on 31-08-2009. Prior to that from March 1, 2007, he was whole-time director (designated as Deputy Managing Director) in Small Industries Development Bank of India (SIDBI), which is a Board level appointment at par with Executive Directors of Public Sector Banks.

His banking career started as Direct Recruit Officer of Bank of India in April 1974. He has held various positions at field level, including overseas posting and in administrative offices. He was Bank's nominee on the Board of Directors of Indo-Zambian Bank, a joint venture with Government of Zambia and on Commonwealth Finance Corporation Ltd., a company located in Hongkong.

He is a first class Science Graduate from Banaras Hindu University and a Qualified Chartered Accountant having passed all parts in first attempt. He has Post Graduate Diploma in Bank Management from the National Institute of Bank Management, Pune.

He has worked as Member of Auditing and Assurance Standards Board and also Study Group on International Financial Reporting Standards, constituted by the Institute of Chartered Accountants of India and Committee on Taxation constituted by Indian Banks Association.

Shri M. Bhaskara Rao

Shri Mocherla Bhaskara Rao is a Graduate in Commerce and a Chartered Accountant. He is a Practicing Chartered Accountant since 1961 and is a Senior Partner of M. Bhaskara Rao & Co.

He carried out Inspection Assignments on behalf of Banking Regulator. He has conducted special inspection of Global Trust Bank Ltd. on behalf of Reserve Bank of India and merger formalities of Nedungadi Bank with Punjab National Bank (PNB).

He was a Director of Punjab National Bank as Government nominee from 1995 to 2000. He was Chairman of Audit Committee and Member Managing Committee in Punjab National Bank.

His understanding of the Basel II recommendations stems out from his leadership to the audit teams involved in providing risk based supervision to the Banking entities such as ING Vysya – Risk Based Audits, SOX Compliance Audit of ICICI and Credit Monitoring of ING Vysya and ICICI constituents.

He is associated with the Insurance Sector as a Divisional, Zonal and Central Auditor (on behalf of the Firm) of Life Insurance Corporation of India over the period of professional practice. He is currently associated with the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) as an Internal Auditor and has developed good understanding of the changing insurance industry scenario. He is also associated with Institute of Insurance and Risk Management, the academic and research entity sponsored by IRDA, as a statutory auditor.

During his professional career, he had an opportunity to carry out professional services on behalf of various regulators such as RBI, SEBI, IRDA and represented the interest of the Financial Institutions on various Boards.

Shri AR Nagappan

Shri AR Nagappan is a Post-Graduate in Science. He has 36 years of experience in Banking. He joined Indian Bank as a probationary officer in 1970. During his service in Indian Bank, he headed the operations at various levels. On becoming the General Manager in February 1998, he headed the Bank's Inspection Department for a year. From 1999, he was heading the Personnel/International Banking/Treasury Operations/Accounts and Subsidiaries of Indian Bank. He was actively associated in the preparation and implementation of the 'Restructuring Plan' for successful turnaround of Indian Bank.

He was a member in various Committees of the IBA, including its Personnel Committee.

In Indian Overseas Bank, he served as its Executive Director from 27th August 2004 to 30th April 2006. He was instrumental in strengthening the fundamentals of IOB, which enabled to be rated as BB+ (positive) by 'Standard and Poor's, an International Rating Agency.

He visited several Asian, African and European countries on official work and for advanced training.

Shri Bhupinder Singh Suri

Shri Bhupinder Singh Suri is a Diploma-holder in Automobile Engineering.

वे वर्ष 2001-2004 के दौरान सिंडिकेट बैंक में भारत सरकार के भूतपूर्व नामित निदेशक रहे हैं और उनके पास निर्यात निवेश आदि जैसे क्षेत्रों से जुड़े रहने का 40 वर्षों का विपुल अनुभव है।

ये जिमखाना सर्विस स्टेशन, नई दिल्ली के मैनेजिंग पार्टनर हैं जो बी पी सी एल के खुदरा आउटलेट का प्राधिकृत मॉडल है। इसे उचित कारोबार व्यवहार परिषद ने जमनालाल बजाज उचित व्यवहार पुरस्कार 2000” प्रदान किया है।

भारत सरकार की ओर से प्रवर्तित भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रायोजित उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में इन्होंने फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में आयोजित आटो मैकेनिका फेयर में भाग लिया है।

वे मेसर्स वी एच एल फॉरेक्स एण्ड फाइनेंशियल लिमिटेड, मेसर्स सूरी स्काइ स्क्रैपर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, मेसर्स आवाज़ बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स कारसेवा इन्वेस्टमेण्ट लिमिटेड, मेसर्स एम के सचदेवा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/पार्टनर रहे हैं।

इंडियन वेटरन्स हॉकी एसोसियेशन, माता सुंदरी कालेज फार वुमेन, गुरु तेगबहादुर पॉलिटेक्निक इन्स्टिट्यूट के माध्यम से ये समाज सेवा के कार्यों से जुड़े रहे हैं। वे फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया पेट्रोलियम ट्रेडर्स के महा सचिव रहे हैं और बाबा हरनाम सिंह ऑफ लंगर साहिब गुरुद्वारा ट्रस्ट के न्यासी हैं जो दिल्ली के अल्पसंख्यक सिख समुदाय की प्रतिनिधि हैं।

वे इंडो-जर्मन चेम्बर ऑफ कॉमर्स, नई दिल्ली तथा महाराष्ट्र चेम्बर ऑफ कामर्स, मुंबई के सदस्य हैं।

निदेशक मंडल की बैठकों का आयोजन

निदेशक मंडल की बैठक राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980 के अनुसार सामान्यतः एक वर्ष में कम से कम 6 बार और एक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। निदेशक मंडल ने वर्ष 2009-2010 के दौरान निम्नलिखित तारीखों में 11 बैठकें आयोजित कीं।

04-04-2009, 28-04-2009, 27-06-2009, 31-07-2009, 12-09-2009, 30-10-2009,
19-11-2009, 18-12-2009, 30-01-2010, 20-02-2010, 25-03-2010

निदेशक मंडल की बैठकों में मंडल के सदस्यों की उपस्थिति तथा गत आम बैठक, बैंक के मंडल की अन्य समितियों में उनकी सदस्यता तथा अन्य कंपनियों में निदेशकों के रूप में उनके सहयोग इत्यादि का पूर्ण ब्यौरा निम्नवत् है।

क्र. सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति		निदेशक मंडल की अन्य समितियों की सदस्यता	अन्य कंपनियों में निदेशक पद*
		निदेशक मंडल की बैठकें	पिछली वा.आ.बै. 26-06-2009		
1.	श्री जॉर्ज जोसेफ (दि. 30-04-2009 तक)	02/02	-	एमसीबी, आरएमसी, एससीएमएफएफसी, सीएससी, डीपीसी	1
2.	श्री बसंत सेठ (दि. 31-08-2009 से)	07/07	-	एमसीबी, आरएमसी, एससीएमएफएफसी, सीएससी, डीपीसी	1
3.	श्री वी. के. नागर	11/11	उ	एमसीबी, एसीबी, आरएमसी, एसआइजीसी, एससीएमएफएफसी, सीएससी, एसटीसी, आइटीसी	1
4.	श्री आर. रामचन्द्रन	11/11	उ	एमसीबी, एसीबी, आरएमसी, एससीएमएफएफसी, सीएससी, आइटीसी, एचआरसी	1
5.	श्री एम. दीन दयालन (दि. 28-02-2010 तक)	05/10	अ	एसीबी, एससीएमएफएफसी, आइटीसी, डीपीसी, आरसी,	1
6.	श्री के. सीतारामु	10/11	उ	एमसीबी, एसीबी, आरएमसी, एसटीसी, आरसी, एनसी, एचआरसी, डीपीसी	-
7.	श्री सुरेश कुमार रुस्तगी (दि. 02-01-2010 तक)	08/08	उ	सीएससी, एचआरसी, आइटीसी	-
8.	श्री दिनकर एस. पूंजा (दि. 15-09-2009 तक)	05/05	उ	एमसीबी	-
9.	श्री केंवलजीत सिंह ओबेरॉय (दि. 01-01-2010 तक)	07/08	उ	एमसीबी, एसीबी, आरएमसी, एससीएमएफएफसी	-
10.	सुश्री शोभा ओजा (दि. 01-01-2010 तक)	07/08	उ	एमसीबी, सीएससी, आरसी, एनसी	-
11.	श्री रमेश एल. अडिगे	11/11	उ	एमसीबी, आरएमसी, सीएससी, आरसी, आइटीसी, एनसी, एचआरसी	3
12.	श्री एम. भास्कर राव	11/11	-	एमसीबी, एसीबी, एसआइजीसी, एससीएमएफएफसी, एचआरसी	1
13.	श्री एआर नागप्पन	11/11	-	एमसीबी, एसीबी, सीएससी, आरएमसी, आरसी, एचआरसी, आइटीसी, एसटीसी	3
14.	श्री भूपिंदर सिंह सूरी	10/11	-	एमसीबी, एसआइजीसी, एससीएमएफएफसी, सीएससी	-

* कंपनी अधिनियम, 2000 की धारा 275 के अनुसार

He was the Ex-Director of Syndicate Bank as Government of India nominee under Section 9(3)(h) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 during the period from 2001 to 2004. He has about 40 years of experience in varied fields of activities i.e. exports, investments etc.

He is the Managing Partner of Gymkhana Service Station, New Delhi, an authorized model retail outlet of BPCL, which is the winner of 'Sir Jamnalal Bajaj Uchit Vyavahar Puraskar-2000' from Council for Fair Business Practices.

He is a member of High Level Delegation sponsored by Bharat Petroleum Corporation Ltd. on behalf of Government of India to visit Auto Mechanika Fair held at Frankfurt, Germany.

He was the Ex-Chairman and Managing Director/ Partner of M/s BHL Forex & Finance Ltd., M/s Suri Sky Scrappers (P) Ltd., M/s Awaz Builders Pvt. Ltd., M/s Karsewa Investments Ltd. and M/s M. K. Sachdeva Builders Pvt. Ltd.

He is involved in services to the community through the Forums like Indian Veteran's Hockey Association, Mata Sundari College for Women, Guru Tegh Bahadur Polytechnic Institute. He was also a General Secretary of the Federation of All India Petroleum Traders and Trustee of Baba Harnam Singh of Langar Sahib Gurudwara Trust and represents minority Sikh community of Delhi.

He is a member of Indo-German Chamber of Commerce, New Delhi and Maharashtra Chamber of Commerce, Bombay.

CONDUCT OF BOARD MEETINGS

Meetings of the Board shall ordinarily be held at least 6 times in a year and at least once in a quarter in accordance with Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980. During the year 2009-2010, the Board held 11 meetings on the following dates:

04-04-2009,	28-04-2009,	27-06-2009,	31-07-2009,	12-09-2009,	30-10-2009,
19-11-2009,	18-12-2009,	30-01-2010,	20-02-2010,	25-03-2010	

The particulars regarding the attendance of the Board Members at the Board Meetings and last AGM, their membership in other Committees of the Board of the Bank and their association with other Companies as Directors are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance		Membership in other Committees of the Board	Directorship in other Companies*
		Board	Last AGM 26-06-09		
1.	Shri George Joseph (upto 30-04-2009)	02/02	-	MCB, RMC, SCMFFC, CSC, DPC	1
2.	Shri Basant Seth (from 31-08-2009)	07/07	-	MCB, RMC, SCMFFC, CSC, DPC	1
3.	Shri V. K. Nagar	11/11	P	MCB, ACB,RMC, SIGC, SCMFFC, CSC, STC, ITC	1
4.	Shri R. Ramachandran	11/11	P	MCB, ACB, RMC, SCMFFC, CSC, ITC, HRC	1
5.	Shri M. Deena Dayalan (upto 28-02-2010)	05/10	A	ACB, SCMFFC, ITC, DPC, RC	1
6.	Shri K. Seetharamu	10/11	P	MCB, ACB, RMC, STC, RC, NC, HRC, DPC	-
7.	Shri Suresh Kumar Rustagi (upto 02-01-2010)	08/08	P	CSC, HRC, ITC	-
8.	Shri Dinkar S. Punja (upto 15-09-2009)	05/05	P	MCB	-
9.	Shri Kawaljit Singh Oberoi (upto 01-01-2010)	07/08	P	MCB, ACB, RMC, SCMFFC	-
10.	Ms. Shobha Oza (upto 01-01-2010)	07/08	P	MCB, CSC, RC, NC	-
11.	Shri Ramesh L. Adige	11/11	P	MCB, RMC, CSC, RC, ITC, NC, HRC	3
12.	Shri M. Bhaskara Rao	11/11	-	MCB, ACB, SIGC, SCMFFC, HRC	1
13.	Shri AR Nagappan	11/11	-	MCB, ACB, CSC, RMC, RC, HRC, ITC, STC	3
14.	Shri Bhupinder Singh Suri	10/11	-	MCB, SIGC, SCMFFC, CSC	-

* As per Section 275 of Companies Act, 2000

उ	- उपस्थित
अ	- अनुपस्थित
एमसीबी	- मंडल की प्रबंधन समिति
एसीबी	- मंडल की लेखा परीक्षा समिति
डीपीसी	- निदेशकों की पदोन्नति समिति
आरएमसी	- जोखिम प्रबंधन समिति
एसआईजीसी	- शेरधारकों/ निवेशकों की शिकायत समिति
एनसी	- नामांकन समिति
एससीएमएफएफसी-	कपटपूर्ण मामलों की जांच एवं अनुवर्तन के लिए विशेष समिति
आरसी	- पारिश्रमिक समिति
एसटीसी	- शेर अंतरण समिति
सीएससी	- ग्राहक सेवा समिति
एचआरसी	- मानव संसाधन समिति
आईटीसी	- सूचना प्रौद्योगिकी समिति

मंडल की प्रबंध समिति

मंडल की प्रबंध समिति (एमसीबी) भारत सरकार की अधिसूचना सं.एफ.4/1/86/बी.ओ.आई (1) दिनांक 11-7-1986 के अनुसार स्थापित की गई और भारत सरकार द्वारा उनके परिपत्र सं.एफ.सं. 4/1/94 - बीओआई (i) दिनांक 10-11-1995 के जरिए सूचित किए गए अनुसार पुनःस्थापित की गई । आगे, भारत सरकार ने भा.रि.बैं. के साथ परामर्श करके योजना 1970 में संशोधन किया जिसे राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) (संशोधन) योजना, 2007 कहा गया और जिसे दि. 8-3-2007 के शुद्धिपत्र के साथ पढ़ा जाए। प्रबंध समिति ऋण प्रस्तावों को मंजूर करने, ऋणों का समझौता/निपटान, बट्टे खाते डाले गए प्रस्ताव, पूंजीगत और राजस्व व्ययों का अनुमोदन, अधिग्रहण और भवनों को किराये पर देना, दावा/अपील दायर करना, निवेश, अंशदान किया गया/सौंपा गया, के संबंध में सभी अधिकारों का प्रयोग करती है। वर्ष के दौरान समिति की निम्नलिखित 13 बैठकें आयोजित की गईं :

22-04-2009,	27-05-2009,	13-06-2009,	11-07-2009,	12-08-2009,	11-09-2009,	29-10-2009,
18-11-2009,	18-12-2009,	30-12-2009,	30-01-2010,	20-02-2010,	25-03-2010	

मंडल की प्रबंध समिति के सदस्य और उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकों में से उनकी उपस्थिति के संबंध में विवरण नीचे प्रस्तुत है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री जॉर्ज जोसेफ (दि. 30-04-2009 तक)	01/01
2.	श्री बसंत सेठ (दि. 11-09-2009 से)	08/08
3.	श्री वी. के. नागर	12/13
4.	श्री आर. रामचन्द्रन	12/13
5.	श्री के. सीतारामु	13/13
6.	श्री दिनकर एस. पूंजा (दि. 27-05-2009 से 15-09-2009 तक)	05/05
7.	श्री केंवलजीत सिंह ओबेरॉय (दि. 01-01-2010 तक)	09/10
8.	श्री सुरेश कुमार रुस्तगी (दि. 22-04-2009 को)	01/01
9.	श्री रमेश एल. अडिगे (दि. 22-04-2009 को और दि. 18-11-2009 से)	07/07
10.	सुश्री शोभा ओज़ा (दि. 22-04-2009 और दि. 30-12-2009 को)	02/02
11.	श्री एम. भास्कर राव (दि. 30-12-2009 से)	04/04
12.	श्री एआर नागप्पन (दि. 27-05-2009 से दि. 18-12-2009 तक और दि. 30-01-2010 से)	10/10
13.	श्री भूपिन्दर सिंह सूरी (दि. 27-05-2009 से दि. 18-12-2009 तक और दि. 30-01-2010 से)	10/10

मंडल की लेखा-परीक्षा समिति

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों/मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन किया गया, जो निर्देश देने एवं बैंक में कुल लेखा कार्य अर्थात् संगठन परिचालनीकरण और आंतरिक लेखापरीक्षा का गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक के भीतर निरीक्षण और बैंक का सांविधिक/बाहरी लेखा परीक्षा पर अनुवर्तन तथा भा.रि.बैं. द्वारा निरीक्षण आदि कार्यों को करती है। मंडल की लेखा परीक्षा समिति बैंक का आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा कार्यप्रणाली की संवीक्षा करती है। यह विशिष्ट और असाधारण रूप से बड़ी शाखाओं और असंतोषजनक श्रेणी निर्धारित शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों की भी समीक्षा करती है।

मंडल की लेखा परीक्षा समिति बैंक के कार्यपालक निदेशक और दो सरकारी निदेशक और दो गैर-सरकारी/गैर-कार्यपालक निदेशकों सहित गठित की गई है। दो गैर-सरकारी/गैर-कार्यपालक निदेशकों में से एक सनदी लेखाकार होगा। कोई भी गैर-कार्यकारी निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की अध्यक्षता कर सकता है। वर्ष के दौरान समिति की निम्नलिखित 9 बैठकें आयोजित की गईं।

28-04-2009,	13-06-2009,	11-07-2009,	30-07-2009,	30-10-2009,	19-11-2009,	30-12-2009,
29-01-2010,	24-03-2010					

P	– Present
A	– Absent
MCB	– Management Committee of the Board
ACB	– Audit Committee of the Board
DPC	– Directors’ Promotion Committee
RMC	– Risk Management Committee
SIGC	– Shareholders’/Investors’ Grievance Committee
NC	– Nomination Committee
SCMFFC	– Special Committee for Monitoring & Follow up of Fraud Cases
RC	– Remuneration Committee
STC	– Share Transfer Committee
CSC	– Customer Service Committee
HRC	– Human Resource Committee
ITC	– Information Technology Committee

MANAGEMENT COMMITTEE OF THE BOARD

The Management Committee of the Board (MCB) was constituted in terms of Govt. of India Notification No. F 4/1/86. BO.I (I) dated 11-07-1986 and was reconstituted as advised by Govt. of India vide their Notification No. F No. 4/1/94-BO.I(i) dated 10-11-1995. Further, GOI after consultation with the RBI made the Scheme to amend the 'Scheme 1970' called Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) (Amendment) Scheme, 2007, read with corrigendum dated 08-03-2007. The Management Committee exercises all the powers vested in the Board in respect of sanctioning of credit proposals, compromise settlement of loans, write-off proposals, approval of capital and revenue expenditure, acquisition and hiring of premises, filing suits/appeals, investments, donations and any other matter referred to / delegated to the Committee by the Board. The Committee met 13 times during the year on the following dates:

22-04-2009,	27-05-2009,	13-06-2009,	11-07-2009,	12-08-2009,	11-09-2009,	29-10-2009,
18-11-2009,	18-12-2009,	30-12-2009,	30-01-2010,	20-02-2010,	25-03-2010	

The particulars with regard to the members of the Management Committee of the Board and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri George Joseph (upto 30-04-2009)	01/01
2.	Shri Basant Seth (from 11-09-2009)	08/08
3.	Shri V. K. Nagar	12/13
4.	Shri R. Ramachandran	12/13
5.	Shri K. Seetharamu	13/13
6.	Shri Dinkar S. Punja (from 27-05-2009 upto 15-09-2009)	05/05
7.	Shri Kawaljit Singh Oberoi (upto 01-01-2010)	09/10
8.	Shri Suresh Kumar Rustagi (on 22-04-2009)	01/01
9.	Shri Ramesh L. Adige (on 22-04-2009 and from 18-11-2009)	07/07
10.	Ms. Shobha Oza (on 22-04-2009 and 30-12-2009)	02/02
11.	Shri M. Bhaskara Rao (from 30-12-2009)	04/04
12.	Shri AR Nagappan (from 27-05-2009 upto 18-12-2009 and from 30-01-2010)	10/10
13.	Shri Bhupinder Singh Suri (from 27-05-2009 upto 18-12-2009 and from 30-01-2010)	10/10

AUDIT COMMITTEE OF THE BOARD

The Audit Committee of the Board (ACB) was constituted as per the instructions/ guidelines issued by Reserve Bank of India to provide direction as also oversee the operation of the total audit function in the Bank, which include the organisation, operationalisation and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follow up on the statutory/external audit of the Bank and inspection of RBI. The ACB reviews the internal inspection/audit function in the Bank. It also reviews the inspection report of specialized and exceptionally large branches and also branches with unsatisfactory ratings.

The Audit Committee of the Board has been constituted with the Executive Director of the Bank and with two official Directors and two non-official-non-executive Directors. Out of the two non-official-non-executive directors, one shall be a Chartered Accountant. The meetings of the ACB will be chaired by anyone of the non-executive directors. The Committee met 9 times during the year on the following dates:

28-04-2009,	13-06-2009,	11-07-2009,	30-07-2009,	30-10-2009,	19-11-2009,	30-12-2009,
29-01-2010,	24-03-2010					

मंडल की लेखा परीक्षा समिति के सदस्य और बैठकों में उनकी उपस्थिति के संबंध में विवरण नीचे प्रस्तुत है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री कँवलजीत सिंह ओबेरॉय (दि. 31-12-2009 तक)	06/07
2.	श्री वी. के. नागर	08/09
3.	श्री आर. रामचन्द्रन	09/09
4.	श्री एम. दीन दयालन (दि. 28-02-2010 तक)	04/08
5.	श्री के. सीतारामु	09/09
6.	श्री एआर नागप्पन (दि. 29-04-2009 से 13-06-2009 तक और दि. 30-01-2010 से)	03/03
7.	श्री एम. भास्कर राव	09/09

जोखिम प्रबंधन समिति

भा.रि.बैं. के निदेशानुसार, बैंक के निदेशक मंडल ने बैंक में सही ढंग से जोखिम प्रबंधन पद्धति का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करने के लिए 'जोखिम प्रबंधन समिति' का गठन किया है। वर्ष के दौरान समिति की 6 बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं :-

30-07-2009, 11-09-2009, 18-11-2009 17-12-2009, 20-02-2010, 24-03-2010

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण नीचे प्रस्तुत है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री बसंत सेठ (दि. 31-08-2009 से)	05/05
2.	श्री वी. के. नागर	06/06
3.	श्री आर. रामचन्द्रन	06/06
4.	श्री के. सीतारामु	06/06
5.	श्री कँवलजीत सिंह ओबेरॉय (दि. 01-01-2010 तक)	03/04
6.	श्री एआर नागप्पन	06/06
7.	श्री रमेश एल. अडिगे (दि. 30-01-2010 से)	02/02

धोखाधड़ी मामलों की मॉनीटरिंग एवं अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विशेष समिति

भा.रि.बैं. के परिपत्र सं.डी.बी.एस.एफ.जी.वी.(एफ) सं.1004/23-04-01ए/2003-2004 दिनांक 14-01-2004 के अनुसार, बैंक के निदेशक मंडल ने रु.1 करोड़ तथा उससे अधिक राशि के 'कपटपूर्ण मामलों की मॉनीटरिंग एवं अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विशेष समिति' का गठन किया।

वर्ष के दौरान समिति की 4 बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं :

04-04-2009, 13-06-2009, 12-09-2009, 17-12-2009

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति नीचे प्रस्तुत हैं।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री जॉर्ज जोसेफ (दि. 30-04-2009 तक)	01/01
2.	श्री बसंत सेठ (दि. 31-08-2009 से)	02/02
3.	श्री वी. के. नागर	03/04
4.	श्री आर. रामचन्द्रन	04/04
5.	श्री एम. दीन दयालन	02/04
6.	श्री कँवलजीत सिंह ओबेरॉय	04/04
7.	श्री एम. भास्कर राव	04/04

शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति

सूचीकरण करार के खण्ड 49 के उपखण्ड IV जी (iii) के अनुसार बैंक के निदेशक मंडल ने शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति विशिष्ट रूप से शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायतों जैसा कि शेयरों का अंतरण, तुलन-पत्र की अप्राप्ति, घोषित लाभांशों की अप्राप्ति आदि को दूर करने के लिए गठित की गई है।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नलिखित दो बैठकें आयोजित की गईं:

27-05-2009, 30-12-2009

The particulars with regard to the members of the Audit Committee of the Board and their attendance at the meetings are as given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Kawaljit Singh Oberoi (upto 31-12-2009)	06/07
2.	Shri V. K. Nagar	08/09
3.	Shri R. Ramachandran	09/09
4.	Shri M. Deena Dayalan (upto 28-02-2010)	04/08
5.	Shri K. Seetharamu	09/09
6.	Shri AR Nagappan (from 29-04-2009 upto 13-06-2009 and from 30-01-2010)	03/03
7.	Shri M. Bhaskara Rao	09/09

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

In terms of RBI direction, the Board of Directors of the Bank constituted "Risk Management Committee" of the Board for successful implementation of proper Risk Management Systems in the Bank. During the year, the Committee held 6 meetings on the following dates:

30-07-2009, 11-09-2009, 18-11-2009 17-12-2009, 20-02-2010, 24-03-2010

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Basant Seth (from 31-08-2009)	05/05
2.	Shri V. K. Nagar	06/06
3.	Shri R. Ramachandran	06/06
4.	Shri K. Seetharamu	06/06
5.	Shri Kawaljit Singh Oberoi (upto 01-01-2010)	03/04
6.	Shri AR Nagappan	06/06
7.	Shri Ramesh L. Adige (from 30-01-2010)	02/02

SPECIAL COMMITTEE FOR MONITORING AND FOLLOW UP OF FRAUD CASES

In terms of RBI Circular No. DBS.FGV (F) No. 1004/23-04-01A/2003-2004 dated 14-01-2004, the Board of Directors of the Bank constituted "Special Committee for Monitoring and Follow up of Fraud Cases" involving amount of Rs. 1 crore and above.

During the year the Committee held 4 meetings on the following dates:

04-04-2009, 13-06-2009, 12-09-2009, 17-12-2009

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meeting are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri George Joseph (upto 30-04-2009)	01/01
2.	Shri Basant Seth (from 31-08-2009)	02/02
3.	Shri V. K. Nagar	03/04
4.	Shri R. Ramachandran	04/04
5.	Shri M. Deena Dayalan	02/04
6.	Shri Kawaljit Singh Oberoi	04/04
7.	Shri M. Bhaskara Rao	04/04

SHAREHOLDERS'/INVESTORS' GRIEVANCE COMMITTEE

In terms of Sub-clause IV G(iii) of Clause 49 of the Listing Agreement, the Board of Directors of the Bank constituted "Shareholders'/ Investors' Grievance Committee" of the Board, to specifically look into the redressing of Shareholder and Investor complaints like transfer of shares, non-receipt of balance sheet, non-receipt of declared dividends etc.

During the year the Committee held 2 meetings on the following dates:

27-05-2009 30-12-2009

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री वी. के. नागर (दि. 09-11-2009 से)	01/01
2.	श्री आर. रामचन्द्रन (दि. 08-11-2009 तक)	01/01
3.	श्री एम. भास्कर राव	02/02
4.	श्री भूपिन्दर सिंह सूरी	02/02

वर्ष 2009-10 के दौरान, बैंक के शेरधारकों/निवेशकों से 2628 शिकायतें/प्रश्न प्राप्त हुए और वर्ष के दौरान प्राप्त सभी शिकायतों/प्रश्नों पर कार्रवाई की गयी है। उपर्युक्त में से कोई भी शिकायत एक महीने से अधिक अवधि तक लंबित नहीं है। दि. 31-03-2010 तक कोई भी शेर अंतरण के लिए लंबित नहीं है।

अनुपालन अधिकारी

सूचीकरण करार के खण्ड 47 के अनुसार श्री आर. रवि बैंक के कंपनी सचिव, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंजों के पास सूचीकरण करार, कंपनी के रजिस्ट्रार, नैगम कार्य मंत्रालय के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन के उद्देश्य से तथा शेर अंतरण प्रक्रिया का अनुप्रवर्तन इत्यादि के संबंध में अनुपालन अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं।

ग्राहक सेवा समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र सं. डी.ओ.डी.बी.ओ.डी. सं. एल.ई.जी. 96/09-07-007/2004-05, दि. 17-08-2004 के अनुसार बैंक के निदेशक मंडल ने बैंक द्वारा प्रदान की जानेवाली ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सतत सुधार करने हेतु निदेशक मण्डल की ग्राहक सेवा समिति का गठन किया है। वर्ष के दौरान समिति की तीन बैठकें निम्नलिखित तारीखों में आयोजित की गईं :

31-07-2009, 19-11-2009, 24-03-2010

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री बसंत सेठ (दि. 31-08-2009 से)	02/02
2.	श्री वी. के. नागर	03/03
3.	श्री आर. रामचन्द्रन	03/03
4.	श्री सुरेश कुमार रुस्तगी (दि. 27-06-2009 से दि. 02-01-2010 तक)	02/02
5.	सुश्री शोभा ओज़ा (दि. 27-06-2009 से दि. 01-01-2010 तक)	02/02
6.	श्री रमेश एल. अडिगे (दि. 30-01-2010 से)	01/01
7.	श्री एआर नागप्पन (दि. 30-01-2010 से)	01/01
8.	श्री भूपिन्दर सिंह सूरी	03/03

पारिश्रमिक समिति

भारत सरकार के पत्रांक एफ सं. 20/1/2005-बी.ओ. 1 दिनांक 9-3-2007 में दी गई शर्तों के अनुसार निदेशक मंडल ने एक पारिश्रमिक समिति का गठन किया है जो भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निष्पादन मूल्यांकन हेतु गठित बोर्ड की एक उपसमिति है। वर्ष के दौरान समिति ने परिचालन द्वारा एक बैठक आयोजित की:

सूचना प्रौद्योगिकी समिति

सूचना प्रौद्योगिकी समिति – यह समिति निदेशक मंडल की दि. 30-03-2007 को संपन्न बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार गठित बोर्ड की एक उप समिति है जो प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु समुचित अनुप्रवर्तन का कार्य करती है। वर्ष के दौरान समिति की 3 बैठकें निम्नलिखित तारीखों में आयोजित की गईं।

30-07-2009, 17-12-2009, 24-03-2010

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति नीचे प्रस्तुत है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री वी. के. नागर	03/03
2.	श्री आर. रामचन्द्रन	03/03
3.	श्री एम. दीन दयालन (दि. 28-02-2010 तक)	02/02
4.	श्री सुरेश कुमार रुस्तगी (दि. 27-06-2009 से दि. 02-01-2010 तक)	02/02
5.	श्री रमेश एल. अडिगे	03/03
6.	श्री एआर नागप्पन (दि. 30-01-2010 से)	01/01

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri V. K. Nagar (from 09-11-2009)	1/1
2.	Shri R. Ramachandran (upto 08-11-2009)	1/1
3.	Shri M. Bhaskara Rao	2/2
4.	Shri Bhupinder Singh Suri	2/2

During the year 2009-10, 2628 Complaints/grievances/queries were received from the Shareholders / investors of the Bank and all the complaints/grievances/queries received during the year have been resolved / attended to. None of the above complaints were pending for more than one month. There were no shares pending for transfer as at 31-03-2010.

COMPLIANCE OFFICER

In terms of Clause 47 of the Listing agreement, Sri R. Ravi, Company Secretary of the Bank is functioning as Compliance Officer for the purpose of complying with various provisions of Securities & Exchange Board of India, Listing Agreements with Stock Exchanges, Registrar of Companies, Ministry of Corporate Affairs and for monitoring the share transfer process etc.

CUSTOMER SERVICE COMMITTEE

In terms of RBI letter DO.DBOD.No.Leg96/09.07.007/2004-05 dated 17-08-2004, the Board of Directors constituted Customer Service Committee of the Board for bringing about ongoing improvement in the quality of customer service provided by the Bank. During the year the Committee held 3 meetings on the following dates:

31-07-2009, 19-11-2009, 24-03-2010

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Basant Seth (from 31-08-2009)	2/2
2.	Shri V. K. Nagar	3/3
3.	Shri R. Ramachandran	3/3
4.	Shri Suresh Kumar Rustagi (from 27-06-2009 upto 02-01-2010)	2/2
5.	Ms. Shobha Oza (from 27-06-2009 upto 01-01-2010)	2/2
6.	Shri Ramesh L. Adige (from 30-01-2010)	1/1
7.	Shri AR Nagappan (from 30-01-2010)	1/1
8.	Shri Bhupinder Singh Suri	3/3

REMUNERATION COMMITTEE

In terms of Government of India letter F. No. 20/1/2005-BO.1 dated 09-03-2007, the Board of Directors constituted Remuneration Committee – A Sub-Committee of the Board to evaluate the performance as per the Government of India guidelines. During the year the Committee met once by circulation.

INFORMATION TECHNOLOGY COMMITTEE

Information Technology Committee - A sub Committee of the Board was constituted by the Board of Directors in the meeting held on 30-03-2007 to have a proper monitoring system in place to ensure that the projects are progressing according to the objectives. During the year, the committee held 3 meetings on the following dates:

30-07-2009, 17-12-2009, 24-03-2010

Particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri V. K. Nagar	3/3
2.	Shri R. Ramachandran	3/3
3.	Shri M. Deena Dayalan (upto 28-02-2010)	2/2
4.	Shri Suresh Kumar Rustagi (from 27-06-2009 upto 02-01-2010)	2/2
5.	Shri Ramesh L. Adige	3/3
6.	Shri AR Nagappan (from 30-01-2010)	1/1

शेयर अंतरण समिति

सिंडिकेट बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार बैंक द्वारा शेयर अंतरण समिति का गठन किया गया। निदेशक मंडल ने दि. 31-07-2009 को संपन्न अपनी बैठक में समिति का पुनर्गठन किया।

उक्त समिति शेयरों का अंतरण, अनुलिपि शेयर प्रमाणपत्र जारी करना, शेयरों का हस्तांतरण और नामों को हटाना तथा शेयरों का पुनः कागज़ीकरण तथा उससे संबंधित अन्य मुद्दों की निगरानी करती हैं और उनका अनुमोदन करती हैं। वर्ष के दौरान समिति की 4 बैठकें निम्नलिखित तारीखों में आयोजित की गईं :

27-05-2009, 11-09-2009, 30-12-2009, 24-03-2010

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति नीचे प्रस्तुत है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री वी. के नागर (दि. 09-11-2009 से)	02/02
2.	श्री आर. रामचन्द्रन, (दि. 08-11-2009 तक)	02/02
3.	श्री के. सीतारामु	04/04
4.	श्री एआर नागप्पन	04/04

नामांकन समिति

भा.रि.बैं. के पत्र डी.बी.ओ.डी. सं.बी.सी. 47/29.39.001/2007-2008 दि. 01-11-2007 के अनुसार निदेशक मंडल ने बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980, 2006 में यथा संशोधित, की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत मौजूदा निदेशक के रूप में चयन किए जानेवाले व्यक्ति की “उपयुक्त तथा उचित” स्थिति का निर्धारण करने के लिए सम्यक् तत्परतावाली प्रक्रिया शुरू करने हेतु “नामांकन समिति” का गठन किया है।

भा.रि.बैं. ने निदेश दिया है कि “उपयुक्त और उचित” मानदंड को चयनित निदेशकों (शेयरधारक निदेशक) – वर्तमान और भावी दोनों पर लागू किया जाए।

समिति के सदस्यों के ब्यौरे निम्नप्रस्तुत हैं :

1. श्री के. सीतारामु
2. श्री रमेश एल. अडिगे
3. सुश्री शोभा ओज़ा (दि. 01-01-2010 तक)

वर्ष के दौरान समिति ने उन अभ्यर्थियों की “उपयुक्त तथा उचित” स्थिति को निर्धारित करने हेतु सम्यक् तत्परता प्रक्रिया शुरू करने के लिए दि. 16-06-2009 को बैठक का आयोजन किया था जिन्होंने दि. 26-06-2009 को संपन्न वार्षिक आम बैठक में शेयर धारक निदेशकों के चयन के संबंध में अपना नामांकन दर्ज किया था।

एच. आर. समिति

बैंक में एच. आर. प्रणाली/प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए दि. 30-10-2009 को मंडल की एच. आर. समिति का गठन किया गया है।

समिति की बैठक दि. 30-12-2009 को आयोजित की गयी।

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्नलिखित है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री आर. रामचन्द्रन	01/01
2.	श्री के. सीतारामु	01/01
3.	श्री सुरेश कुमार रुस्तगी	01/01
4.	श्री रमेश एल. अडिगे	01/01
5.	श्री एआर नागप्पन	01/01

निदेशकों का पारिश्रमिक

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशक के पारिश्रमिक का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैंक द्वारा बैठक शुल्क, बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा व्यय और विराम खर्च के अलावा किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक गैर-सरकारी निदेशकों को अदा नहीं किया जाता है।

बैठक शुल्क

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्र एफ. सं. 26/2/2000/बी.ओ.आइ. दि. 15-02-2004 के अनुसार गैर सरकारी निदेशक प्रत्येक मंडल बैठक में उपस्थित होने के लिए रु. 5,000/- तथा मंडल की किसी भी समिति में उपस्थित होने के लिए प्रति बैठक के लिए रु. 2,500/- के बैठक शुल्क के लिए पात्र हैं।

आचार संहिता

मंडल ने अपने सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधकवर्ग के लिए आचार संहिता का अनुमोदन किया। इसे बैंक के वेबसाइट अर्थात् www.syndicatebank.in पर “शेयरहोल्डर इनफो” के अधीन लगाया गया है।

SHARE TRANSFER COMMITTEE

In accordance with the Syndicate Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1998, the Board of Directors has constituted Share Transfer Committee. The Committee was reconstituted by the Board in its meeting held on 31-07-2009.

The Committee monitors and approves share transfers, issue of duplicate share certificates, transmission, transposition and deletion of names and re-materialization of shares and matters relating thereto. During the year, the committee held 4 meetings on the following dates:

27-05-2009, 11-09-2009, 30-12-2009, 24-03-2010

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri V. K. Nagar (From 09-11-2009)	2/2
2.	Shri R. Ramachandran (upto 08-11-2009)	2/2
3.	Shri K. Seetharamu	4/4
4.	Shri AR Nagappan	4/4

NOMINATION COMMITTEE

In terms of the RBI letter DBOD No. BC No. 47/29.39.001/2007-08 dated 01-11-2007, the Board of Directors constituted "Nomination Committee" to undertake a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of existing/ the persons to be elected as a director under Sec. 9 (3)(i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, as amended in 2006.

RBI has directed that the "Fit and Proper" Criteria as of now, be made applicable to the elected directors (Shareholder directors)–both present and future.

Following are the members of the Committee:

1. Shri K. Seetharamu
2. Shri Ramesh L. Adige
3. Ms. Shobha Oza (upto 01-01-2010)

During the year, the Committee met once on 16-06-2009 to undertake a process of due diligence to determine the "Fit and Proper" status of the candidates who filed their nominations for election of shareholder directors at the AGM held on 26-06-2009.

H.R. COMMITTEE

H.R. Committee of the Board was constituted on 30-10-2009 for the review of HR Systems/practices in the Bank.

The Committee met on 30-12-2009.

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri R. Ramachandran	1/1
2.	Shri K. Seetharamu	1/1
3.	Shri Suresh Kumar Rustagi	1/1
4.	Shri Ramesh L. Adige	1/1
5.	Shri AR Nagappan	1/1

REMUNERATION OF DIRECTORS

The remuneration of the Chairman & Managing Director and the Executive Directors is fixed by the Central Government. As per the guidelines of Government of India, the Bank does not pay any remuneration to the non-official Directors of the Bank apart from sitting fee, traveling expenses and halting expenses for attending meetings.

SITTING FEES

Non-Official Directors are entitled to sitting fee of Rs. 5,000/- for attending every Board Meeting and Rs.2,500/- per meeting for attending meetings of committees of the Board as per Government of India, Ministry of Finance letter F. No. 26/2/2000/BO.I dated 15-02-2004.

CODE OF CONDUCT

The Board has approved the Code of Conduct for all Board members and senior management of the Bank. The same is also placed on the Bank's website i.e. www.syndicatebank.in under "shareholders info".

मंडल के सभी सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग ने संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित किया।

निवेशकों की शिकायत

निवेशकों को और भी बेहतर सेवा प्रदान करने तथा उनकी शिकायतों का शीघ्र निवारण करने के लिए हमारे बैंक ने एक ई-मेल आइ.डी. खोल रखा है - "syndinvest@syndicatebank.co.in", जिससे बैंक ऐसी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई कर सकेगा।

दि. 31-03-2010 की स्थिति के अनुसार गैर-कार्यपालक निदेशकों के शेयरधारण के विवरण

निदेशक का नाम	धारित शेयरों की संख्या
श्री के. सीतारामु	शून्य
श्री एम. भास्कर राव	200
श्री एआर नागप्पन	200
श्री भूपिन्दर सिंह सूरी	2000
श्री रमेश एल. अडिगे	शून्य

अधिदेशात्मक/गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का अनुपालन

बैंक ने, अपने विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट उन सभी अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का पालन किया है जो उन पर लागू होती हैं।

नैगम अभिशासन स्वैच्छिक मार्गदर्शी सिद्धांत 2009

क्रम सं.	स्वैच्छिक मार्गदर्शी सिद्धांत	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	निदेशक मंडल	
क.	निदेशकों की नियुक्ति	
	निदेशक मंडल में नियुक्ति-गैर कार्यपालक निदेशकों तथा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में औपचारिक पत्र जारी करना	निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा (9) (3) के अंतर्गत किया गया है। अतएव, यह खण्ड लागू नहीं होता है। तथापि, निदेशक मंडल में शेयर धारकों की नियुक्ति होते ही उनको नियुक्ति पत्र जारी किए जाते हैं।
	अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के कार्यालयों का प्रथमकरण	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, जो बैंक के मुख्य कार्यपालक निदेशक हैं, उनकी नियुक्ति बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3) (क) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है।
	नामांकन समिति - गठन	चयनित गैर - कार्यपालक निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन करने हेतु बैंक ने निदेशक मंडल स्तर पर एक नामांकन समिति का गठन किया है। राष्ट्रीय बैंकों के निदेशक मंडल में चयनित निदेशकों के लिए भा.रि.बैं. द्वारा निर्दिष्ट "उपयुक्त और उचित" मानदंड की शर्तें समिति पर लागू होंगी।
ख.	स्वतंत्र निदेशक	
	निदेशक मंडल को चाहिए कि वे स्वतंत्र निदेशकों की सकारात्मक विशेषताओं जैसे, निष्ठा, अनुभव और विशेषज्ञता, दूरदर्शिता, प्रबंधकीय विशेषता तथा वित्तीय विवरणों को पढ़ने और उनको समझने की क्षमता, आदि के लिए नीति बनाएं।	निदेशकों की नियुक्ति बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3) के अंतर्गत की जाती है।
	स्वतंत्र निदेशक - किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र निदेशक के रूप में तीन से अधिक पदावधि के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।	बोर्ड का गठन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3) के अंतर्गत किया गया है।
ग.	निदेशकों का पारिश्रमिक	
		अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशकों के पारिश्रमिक का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैंक द्वारा गैर सरकारी निदेशकों को बैठक में उपस्थित होने के लिए बैठक का शुल्क, यात्रा व्यय और विराम व्यय के अलावा किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है।
	पारिश्रमिक समिति	भारत सरकार के पत्र एफ.सं. 20/1/2005-बी.ओ 1 दि. 09-03-2007 के अनुसार पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है। समिति के सदस्यगण गैर-कार्यपालक निदेशक हैं।

All Board members and senior management personnel have affirmed compliance with the code.

INVESTOR GRIEVANCE

As part of the initiative to provide enhanced levels of service to the investors, our Bank has designated an e-mail ID “syndinvest@syndicatebank.co.in” exclusively for the purpose of addressing complaints, to enable the Bank to attend to such complaints on priority.

Details of shareholding of Non-executive Directors as on 31-03-2010

Name of the Director	Number of shares held
Shri K. Seetharamu	Nil
Shri M. Bhaskara Rao	200
Shri AR Nagappan	200
Shri Bhupinder Singh Suri	2000
Shri Ramesh L. Adige	Nil

Compliance to mandatory / non-mandatory requirements

The Bank has complied with all the mandatory requirements, as applicable to them, prescribed by its Regulatory Authorities.

CORPORATE GOVERNANCE VOLUNTARY GUIDELINES 2009

Sl. No.	Voluntary Guidelines	Status of Implementation
I	THE BOARD	
A.	APPOINTMENT OF DIRECTORS	
	Appointments to the Board – Issue of formal letters of appointment to Non-Executive Directors & Independent Directors	Board is constituted as per Section 9(3) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980. Hence, this clause is not applicable to us. However, appointment letters are issued to Shareholder Directors soon after their election to the Board.
	Separation of Offices of Chairman and Chief Executive Officer	Chairman and Managing Director, who is the Chief Executive Director of the Bank, is appointed by the Central Government under Section 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980
	Nomination Committee – Constitution	The Bank has formed a Board level Nomination Committee to evaluate the performance of elected Non-Executive Directors. The terms of reference of the Committee are as per Reserve Bank of India’s directions of “Fit and Proper” Criteria for elected Directors on Board of Nationalized Banks
B.	INDEPENDENT DIRECTORS	
	The Board should put in place a policy for specifying positive attributes of Independent Directors such as Integrity, experience and expertise, foresight, managerial qualities and ability to read and understand financial statements	The directors of the Bank are appointed under Section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980.
	Independent Directors – No individual may be allowed to have more than three tenures as Independent Director	Board is constituted as per Section 9(3) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980.
C.	REMUNERATION OF DIRECTORS	
	Remuneration Committee	The remuneration of the Chairman & Managing Director and the Executive Directors is fixed by the Central Government. As per the guidelines of Government of India, the Bank does not pay any remuneration to the non-official directors of the Bank, apart from sitting fee, traveling expenses and halting expenses for attending meetings. Remuneration Committee is constituted in terms of Government of India letter No.FNo.20/1/2005-BO.1 dated 09-03-2007. The members of the Committee are Non-Executive Directors.

क्रम सं.	स्वैच्छिक मार्गदर्शी सिद्धांत	कार्यान्वयन की स्थिति
II निदेशक मंडल की जिम्मेदारियाँ		
क.	निदेशकों का प्रशिक्षण	निदेशक मंडल के सदस्यों को मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाता है।
ख.	गुणवत्तायुक्त निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करना	प्रत्येक निदेशक को एक संदर्भ पुस्तिका प्रदान की जाती है जिसमें उनकी भूमिका जिम्मेदारियाँ तथा अन्य महत्वपूर्ण विषय होते हैं।
ग.	जोखिम प्रबंधन	बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय कार्यप्रणाली और भा.रि.बैं. द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुरूप निरंतर स्तरोन्नत और कारगर बना रहा है।
घ.	मंडल निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन	निदेशक मंडल का नियंत्रण बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980 द्वारा किया जाता है। अतएव, यह खण्ड हम पर लागू नहीं होता है।
III लेखा परीक्षा समिति		
क.	कंपनी में कम से कम तीन सदस्योंवाली लेखा परीक्षा समिति होनी चाहिए, जिसमें अधिकतम स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। उक्त समिति का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए।	इसका पालन किया गया है। पी.एस.बी. की लेखा परीक्षा से संबंधित भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया है।
ख.	भूमिका और जिम्मेदारियाँ	लेखा परीक्षा समिति बैंक में आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण के गुणवत्ता नियंत्रण का अनुप्रवर्तन करती है और बैंक की सांविधिक/बाहरी लेखा परीक्षा एवं भा.रि.बैं. के निरीक्षण का अनुप्रवर्तन करती है। समिति (क) बैंक के आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा कार्य (ख) विशिष्ट और असाधारण रूप से बड़ी शाखाओं और असंतोषजनक श्रेणी निर्धारित शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों और (ग) त्रैमासिक वित्तीय विवरणों को अनुमोदन हेतु निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले उनकी समीक्षा करती है।
IV लेखा परीक्षक		
	मंडल की लेखा परीक्षा समिति लेखा परीक्षकों की नियुक्ति से संबंधित संदर्भ का प्रथम बिन्दु होना चाहिए	लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, भा.रि.बैं. द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार की गयी है।
V सचिवीय लेखा परीक्षा		
	कंपनी के पारदर्शी, नीतिगत तथा विश्वसनीय अभिशासन को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि कंपनी की बोर्ड प्रक्रियाएँ तथा अनुपालन तंत्र सुदृढ़ हों। इसे सुनिश्चित करने के लिए कंपनी किसी सक्षम व्यावसायिक द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा करवा सकती है।	फिलहाल, बैंक में सचिवीय लेखा परीक्षा तंत्र नहीं है।
VI चेतावनी तंत्र स्थापित करना		
		फिलहाल, बैंक में कोई चेतावनी नीति नहीं है। तथापि, किसी भी व्यक्ति को लेखा परीक्षा समिति में प्रवेश करने के लिए इनकार नहीं किया गया है।

साधारण सभा की बैठकें

i) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 10 क (2) के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक आम बैठक में उपस्थित शेयरधारकों को गत 31 मार्च तक के तुलन-पत्र, बैंक के लाभ व हानि खाते, लेखों द्वारा व्याप्त की गई अवधि के लिए बैंक के कार्यों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र तथा खातों के बारे में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करने, अनुमोदन करने और अंगीकार करने का हक होगा।

पिछली तीन वार्षिक सामान्य बैठकों के विवरण नीचे प्रस्तुत हैं।

आम बैठक का स्वरूप	दिनांक	समय	स्थान
आठवीं वार्षिक आम बैठक	21-06-2007	प्रातः 10.00 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल
नौवीं वार्षिक आम बैठक	23-06-2008	प्रातः 11.30 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल
दसवीं वार्षिक आम बैठक	26-06-2009	प्रातः 11.00 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल

Sl. No.	Voluntary Guidelines	Status of Implementation
II	RESPONSIBILITIES OF THE BOARD	
A.	Training of Directors	The Board members are imparted training by nominating them for training programmes at reputed training institutes.
B.	Enabling Quality Decision Making	Each director is provided with a reference manual detailing his other roles and responsibilities and matters of importance
C.	Risk Management	The Bank has been continuously upgrading and fine tuning the Risk Management systems in tune with International best practices and directions issued by Reserve Bank of India.
D.	Evaluation of performance of Board Directors	Composition of Board of Directors is regulated by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 and the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980. Hence, this clause is not applicable for us.
III	AUDIT COMMITTEE	
A.	The Company should have at least a three member Audit Committee, with Independent Directors constituting the majority. The Chairman of such committee should be an independent director	Complied with. The Audit Committee is duly constituted in terms of RBI Guidelines on Audit Committee in PSBs.
B.	Role and Responsibilities	The Audit Committee oversees quality control of internal audit and inspection within the Bank and follow-up on the statutory / external audit of the Bank and Inspection of RBI. The Committee reviews (a) the internal inspection/audit function in the Bank, (b) the inspection reports of specialized and exceptionally large branches and all branches with unsatisfactory ratings and (c) the quarterly financial statements before they are submitted to board for approval.
IV	AUDITORS	
	The Audit Committee of the Board should be the first point of reference regarding the appointment of Auditors.	Auditors are appointed in line with the guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time.
V	SECRETARIAL AUDIT	
	In order to ensure transparent ethical and responsible governance of the company, it is important that the Board processes and compliance mechanisms of the company are robust. To ensure this, the companies may get the Secretarial Audit conducted by a competent professional.	Presently, the Bank does not have Secretarial Audit Mechanism.
VI	Institution of Mechanism for Whistle Blowing	Presently, the Bank does not have a Whistle Blower Policy. However, no persons have been denied access to the Audit Committee.

GENERAL BODY MEETINGS

- I) In accordance with the provisions under Section 10A(2) of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, the shareholders of our Bank present at an Annual General Meeting shall be entitled to discuss, approve and adopt the Balance-Sheet and Profit and Loss account of the Bank made up to the previous 31st day of March, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and accounts.

The details of the last three Annual General Meetings of the Bank are furnished here below.

NATURE OF GENERAL MEETING	DATE	TIME	VENUE
Eighth Annual General Meeting	21-06-2007	10.00 AM	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, MANIPAL
Ninth Annual General Meeting	23-06-2008	11.30 AM	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, MANIPAL
Tenth Annual General Meeting	26-06-2009	11.00 AM	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, MANIPAL

दि. 26-06-2009 को संपन्न दसवीं वार्षिक आम बैठक में बेंगलूर स्टॉक एक्सचेंज लि. से बैंक के इक्विटी शेयरों के स्वैच्छिक डिलिस्टिंग के संबंध में विशेष संकल्प धारित किया गया। पोस्टल बैलट के माध्यम से कोई संकल्प पारित नहीं किया गया।

दि. 26-06-2009 को संपन्न शेयरधारकों की 10 वीं वार्षिक आम बैठक में श्री. एम. भास्कर राव, श्री एआर नागप्पन और श्री भूपिन्दर सिंह सूरी को शेयर धारक निदेशक के रूप में पुनः चयनित किया गया।

ii) शेयरधारकों की असाधारण आम बैठकों (ई.जी.एम.) के ब्यौरे नीचे प्रस्तुत हैं:

आम बैठक का स्वरूप	दिन एवं दिनांक	समय	स्थान	उद्देश्य
ई.जी.एम.	मंगलवार, फरवरी 25, 2003	प्रातः 10.00 बजे	सिडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल	4 शेयरधारक निदेशकों का चुनाव
ई.जी.एम.	शुक्रवार, जून 23, 2006	प्रातः 10.00 बजे	सिडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल	3 शेयरधारक निदेशकों का चुनाव

प्रकटीकरण

- बैंक के संबंधित पार्टी-लेन देनों का प्रकटीकरण, दि. 31-03-2010 के तुलन-पत्र की लेखा संबंधी टिप्पणी में किया गया है।
- बैंक ने अपनी अनुषंगी कंपनियों, निदेशकों, प्रबंधक वर्ग या उसके रिश्तेदारों के साथ कोई महत्वपूर्ण पार्टी लेन-देन नहीं किए हैं जो बैंक के हित की दृष्टि से संभाव्य विवाद उत्पन्न करता हो।
- बैंक ने जब से अपने शेयरों को सूचीबद्ध किया है तब से पूंजी बाजार से संबंधित सभी मामलों का पालन किया है।
- दि. 31 मार्च 2010 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले में स्टॉक एक्सचेंजों या “सेबी” या अन्य सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा बैंक पर न तो कोई दण्ड लगाया गया है और न ही किसी प्रकार की निन्दा की गयी है।
- समीक्षा अवधि के दौरान बैंक ने इक्विटी शेयरों के सार्वजनिक/अधिकार निर्गम या अधिमान्य निर्गम माध्यम से अपनी इक्विटी पूंजी में कोई वृद्धि नहीं की है। तथापि, वर्ष के दौरान बैंक ने निजी तौर पर शेयरों के आबंटन/ऋण लिखत के माध्यम से ऋणों में वृद्धि की है। निधियों को जुटाने का मुख्य उद्देश्य पूंजी पर्याप्तता अनुपात को मजबूत बनाने हेतु टायर I और टायर II पूंजी जुटाना तथा बैंक के दीर्घावधि संसाधनों में सुधार करना है और उसका उपयोग उक्त उद्देश्य के लिए किया गया है।
- बैंक ने वार्षिक आम बैठक आयोजित की है और पात्र शेयरधारकों को सांविधिक समय सीमा के भीतर लाभांश का भुगतान कर दिया है।
- सूचीकरण करार के खण्ड 49 के अंतर्गत सी.ई.ओ. और सी.एफ.ओ. के प्रमाणपत्रों को बैंक के निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया गया है और जिसकी प्रति इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
- सूचीकरण करार के खण्ड 49 के अनुसार लेखा परीक्षकों से वर्ष 2009-2010 के लिए बैंक में नैगम अभिशासन से संबंधित प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया है, जिसकी प्रति इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

संप्रेषण माध्यम

बैंक के परिचालन तथा वित्तीय निष्पादन से संबंधित जानकारी, बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से दी जाती है, जिसमें नैगम अभिशासन पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट, लेखा परीक्षित लेखे, नकदी उपलब्धता विवरण इत्यादि शामिल होते हैं। इसके अलावा, शेयरधारकों को बैंक के निष्पादन/वित्तीय परिणामों की सूचना समाचार पत्रों, बैंक के वेबसाइट (www.syndicatebank.in) तथा स्टॉक एक्सचेंजों की सूचना के ज़रिए भी दी जाती है। इसके अतिरिक्त, बैंक के त्रैमासिक/अर्ध वार्षिक वित्तीय परिणामों को सामान्य तौर पर राष्ट्रीय अंग्रेज़ी समाचार पत्र जैसे, इकॉनॉमिक टाइम्स, बिजनेस लाइन, बिजनेस स्टैंडर्ड तथा स्थानीय समाचार पत्र, उदयवाणी में भी प्रकाशित किया जाता है।

वर्ष के दौरान, बैंक के त्रैमासिक अर्ध-वार्षिक/वार्षिक परिणामों को अन्य समाचार पत्रों के अलावा निम्नलिखित समाचारपत्रों में भी प्रकाशित किया गया :

अवधि	समाचार पत्र का नाम		प्रकाशन की तारीख
	अंग्रेज़ी	कन्नड	
मार्च 2009 को समाप्त वर्ष	इकॉनॉमिक टाइम्स	उदयवाणी	29-04-2009
जून 2009 को समाप्त तिमाही	बिजनेस स्टैंडर्ड	उदयवाणी	01-08-2009
सितंबर 2009 को समाप्त अर्ध-वर्ष	फाइनांशियल एक्सप्रेस	उदयवाणी	31-10-2009
दिसंबर 2009 को समाप्त तिमाही	बिजनेस स्टैंडर्ड	उदयवाणी	31-01-2010

सूचीकरण करार के खण्ड 41 की शर्तों के अनुसार, वित्तीय परिणाम और संवेदनशील कीमत की जानकारी स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत की जाती है।

Special Resolution with regard to Voluntary Delisting of equity shares of the Bank from Bangalore Stock Exchange Ltd. was passed in the Tenth Annual General Meeting held on 26-06-2009. No resolutions have been passed through postal ballots.

At Tenth Annual General Meeting of the Shareholders held on 26-06-2009, Shri M. Bhaskara Rao, Shri AR Nagappan and Shri Bhupinder Singh Suri were re-elected as shareholder directors.

ii) The details of Extraordinary General Meetings (EGM) of shareholders are as follows:

General Body Meetings	Day & Date	Time	Venue	Purpose
EGM	Tuesday February 25, 2003	10.00 a.m.	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal	Election of 4 shareholder directors
EGM	Friday June 23, 2006	10.00 a.m.	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal	Election of 3 shareholder directors

DISCLOSURES

- The related party transactions of the Bank are disclosed in the Notes on Accounts of the Balance Sheet as on 31-03-2010.
- There are no significant related party transactions of the Bank with its subsidiaries, director, management or their relatives, etc. that would have potential conflict with the interests of the Bank at large.
- The Bank has complied with all matters related to Capital Market since its listing of shares.
- There are no penalties or strictures imposed on the Bank by the Stock Exchanges or SEBI or any other Statutory Authority on any matter related to Capital Markets during the last 3 years ended 31st March 2010.
- During the year under review, the Bank has not increased its equity capital by way of Public/Right Issue or Preferential issue of Equity Shares. However, during the year, the Bank has raised debts through Private Placement/ Debt Instruments. The funds were raised with the primary objective of augmenting Tier I & II Capital for strengthening Capital Adequacy Ratio and for improving the long term resources of the Bank and the same were utilized for the said purpose.
- The Bank conducted the Annual General Meeting and paid dividend to the eligible shareholders within the statutory time frame.
- The Certificate of CEO and CFO under Clause 49 of the Listing Agreement has been submitted to the Board of Directors of the Bank and a copy is attached to this report.
- In terms of Clause 49 of the Listing Agreement, a certificate has been obtained from the Auditors on Corporate Governance in the Bank for the year 2009-2010 and the same is annexed to this report.

MEANS OF COMMUNICATION

The information about the operations and financial performance of the Bank is mainly provided through the Annual Report of the Bank, which contains Report of the Board of Directors on Corporate Governance, the Directors Report, Audited Accounts, Cash Flow Statements, etc. The shareholders are also intimated of the Bank's performance/ financial results on a regular basis through news papers and Website of the Bank (www.syndicatebank.in), besides Notice to Stock Exchanges. Further, the quarterly / half-yearly financial results are generally published in the National English newspapers like Economic Times, Business Line, Business Standard and in the Regional newspaper, Udayavani.

During the year, the quarterly/half yearly/annual results of the bank were published in the following newspapers in addition to other newspapers:

Period	Name of the Daily		Date of Publication
	English	Kannada	
Year ended March 2009	Economic Times	Udayavani	29-04-2009
Quarter ended June 2009	Business Standard	Udayavani	01-08-2009
Half year ended September 2009	Financial Express	Udayavani	31-10-2009
Quarter ended December 2009	Business Standard	Udayavani	31-01-2010

In terms of Clause 41 of the Listing Agreement, the Financial Results and the price sensitive information(s) are furnished to stock exchanges.

शेयरधारकों के लिए सामान्य जानकारी

1. ग्यारहवीं वार्षिक आम बैठक एवं वित्तीय कैलेण्डर

बैंक के शेयरधारकों की दसवीं वार्षिक आम बैठक सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल - 576 104 में दिनांक 25 जून 2010 को प्रातः 11.30 बजे होगी और वर्ष 2010-2011 के लिए बैंक का वित्तीय कैलेण्डर निम्नानुसार है:

क्र.सं.	कार्यकलाप का स्वरूप	तारीख
1.	31-03-2010 के वार्षिक वित्तीय लेखों का बोर्ड की बैठक द्वारा अनुमोदन एवं अंतिम लाभांश की सिफारिश करना	04-05-2010
2.	लेखा बंदी	18-06-2010 से 25-06-2010 तक
3.	वार्षिक रिपोर्टों का प्रेषण	27-05-2010 से 29-05-2010 तक
4.	प्रॉक्सी फार्मों की प्राप्ति के लिए अंतिम तारीख	21-06-2010
5.	ग्यारहवीं वार्षिक आम बैठक	25-06-2010
6.	प्रथम तीन तिमाहियों के लिए अ-लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों का प्रकाशन	तिमाही की समाप्ति से 45 दिनों के भीतर

2. सूचीकरण

बैंक के शेयरों का निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण किया गया है और 31-03-2010 तक का वार्षिक सूचीकरण शुल्क सभी स्टॉक एक्सचेंजों को अदा कर दिया गया है।

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	स्क्रिप्ट कूट
क.	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड “एक्सचेंज प्लाज़ा” बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पू), मुंबई - 400 051	-
ख.	बंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड फिरोज जीजीभाई टॉवर्स दलाल स्ट्रीट मुंबई - 400 001	532276

राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड द्वारा बैंक के आबंटित आइ.एस.आइ.एन. कूट आइ.एन.ई 667ए 01018 है।

वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान नियत तारीखों के भीतर संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों को कर दिया गया है।

3. शेयर बाजार आंकड़े

वित्तीय वर्ष 2009-2010 के दौरान बंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के साथ किये गए शेयर लेन-देन की प्रमात्रा एवं मासिक उच्च तथा कम भाव दर निम्नानुसार हैं :

वर्ष-मास	बंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड			नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड		
	उच्च (रु.)	कम (रु.)	लेन-देन की प्रमात्रा (सं)	उच्च (रु.)	कम (रु.)	लेन-देन की प्रमात्रा (सं)
अप्रैल - 2009	59.35	48.90	19,69,826	59.50	48.65	76,81,441
मई - 2009	79.05	55.25	39,03,992	79.60	55.10	1,79,02,738
जून - 2009	83.50	69.70	51,59,210	83.70	69.45	1,89,15,653
जुलाई - 2009	83.40	64.35	38,96,270	83.55	64.35	1,32,07,758
अगस्त - 2009	83.90	76.60	23,09,210	82.55	76.70	93,06,610
सितंबर - 2009	93.35	78.45	66,12,401	93.40	78.35	2,68,32,068
अक्टूबर - 2009	104.00	86.90	62,97,459	104.15	86.65	3,10,90,900
नवंबर - 2009	95.95	77.55	42,39,466	96.00	77.45	2,61,00,340
दिसंबर - 2009	97.95	92.35	36,96,895	98.75	92.35	2,27,12,442
जनवरी - 2010	97.10	83.15	24,30,075	97.15	83.00	1,82,17,433
फरवरी - 2010	85.45	80.50	14,06,072	85.25	80.20	85,20,375
मार्च - 2010	89.20	83.55	11,18,814	89.35	83.45	80,09,828

GENERAL INFORMATION TO SHAREHOLDERS

1. Eleventh Annual General Meeting and the Financial Calendar

The Eleventh Annual General Meeting of the shareholders of the Bank will be held at SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal – 576 104, on 25-06-2010 at 11.30 A.M. and Financial Calendar of the Bank for the year 2010-2011 is as follows.

Sl. No.	Nature of Activity	Date
1.	Board Meeting to approve Annual Financial Accounts as at 31-03-2010 and recommending consideration of Dividend, etc.	04-05-2010
2.	Book Closure	18-06-2010 to 25-06-2010
3.	Mailing of Annual Reports	27-05-2010 to 29-05-2010
4.	Last date for receipt of Proxy Forms	21-06-2010
5.	Eleventh Annual General Meeting	25-06-2010
6.	Publication of un-audited financial results for the first 3 quarters	Within 45 days from the end of the quarter

2. Listing

The shares of the Bank are listed at the following Stock Exchanges and the Annual Listing Fees up to 31-03-2010 has been paid to all the Stock Exchanges.

Sl. No.	Name of the Exchange	Scrip Code
a.	National Stock Exchange of India Ltd. "Exchange Plaza" Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051	–
b.	Bombay Stock Exchange Ltd., Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, MUMBAI - 400 001	532276

The ISIN Code allotted by National Securities Depositories Limited for the Bank is INE667A01018.



The annual listing fee to the Stock exchanges have been paid within the prescribed due dates.

3. Stock Market Data

The monthly high & low quotations and the quantity of Shares traded on Bombay Stock Exchange Ltd. and National Stock Exchange of India Ltd. during the Financial Year 2009-2010 is as follows:

Year-Month	Bombay Stock Exchange Ltd.			National Stock Exchange of India Ltd.		
	High (Rs.)	Low (Rs.)	Traded Quantity (Nos)	High (Rs.)	Low (Rs.)	Traded Quantity (Nos)
2009 - April	59.35	48.90	19,69,826	59.50	48.65	76,81,441
2009 - May	79.05	55.25	39,03,992	79.60	55.10	1,79,02,738
2009 - June	83.50	69.70	51,59,210	83.70	69.45	1,89,15,653
2009 - July	83.40	64.35	38,96,270	83.55	64.35	1,32,07,758
2009 - Aug	83.90	76.60	23,09,210	82.55	76.70	93,06,610
2009 - Sept	93.35	78.45	66,12,401	93.40	78.35	2,68,32,068
2009 - Oct	104.00	86.90	62,97,459	104.15	86.65	3,10,90,900
2009 - Nov	95.95	77.55	42,39,466	96.00	77.45	2,61,00,340
2009 - Dec	97.95	92.35	36,96,895	98.75	92.35	2,27,12,442
2010 - Jan	97.10	83.15	24,30,075	97.15	83.00	1,82,17,433
2010 - Feb	85.45	80.50	14,06,072	85.25	80.20	85,20,375
2010 - Mar	89.20	83.55	11,18,814	89.35	83.45	80,09,828

बीएसई सेन्सेक्स एवं निफ्टी की तुलना में बैंक के शेयर मूल्य का निष्पादन निम्नवत् है।



4. शेयर अंतरण पद्धति एवं रजिस्ट्रार तथा अंतरण अभिकर्ता

(क) कागज़ी शेयर

बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी कागज़ी शेयरों का अंतरण रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंटों के पास दर्ज करने की तारीख से एक महीने की अवधि के अंदर प्रभावी है। बैंक द्वारा जारीकृत शेयरों के प्रभावी अंतरण हेतु बोर्ड ने शेयर अंतरण समिति का गठन किया है जिसकी नियमित अन्तरालों में बैठक होती है। वर्ष 2009-2010 के दौरान शेयर अंतरण समिति की बैठक 4 बार आयोजित हुई।

बैंक ने मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को अपने रजिस्ट्रार एवं अंतरण अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया है। रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ताओं के कार्यालय द्वारा शेयर अंतरण, लाभांश का भुगतान एवं सभी अन्य निवेशकों संबंधी कार्यकलाप देखे जाते हैं और संसाधित किए जाते हैं। शेयरधारक, अंतरण पत्र एवं कोई अन्य दस्तावेज, परिवाद तथा शिकायतें रजिस्ट्रार एवं अंतरण अभिकर्ताओं को नीचे दिए गए पते पर भेज सकते हैं :

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर (प्राइवेट) लिमिटेड

यूनिट : सिंडिकेटबैंक

प्लॉट नंबर 17 से 24

विट्ठलराव नगर, माधापुर, हैदराबाद – 500 081

दूरभाष : 040 44655000-विस्तार 116 या 040 44655116 (सीधा)

फैक्स : 040-23420814

(ख) बेकागज़ी शेयर

बैंक के शेयरों का लेन-देन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इण्डिया लिमिटेड के पास अनिवार्य रूप से आइ एस आइ एन कूट आइ एन ई 667A01018 और बंबई स्टॉक एक्सचेंज लि. के पास स्क्रिप कूट सं. 532276 के अंतर्गत किया जाता है। राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) और केन्द्रीय निक्षेपागार सेवा लिमिटेड (सीएसडीएल) बैंक के शेयरों को बेकागज़ीकृत रूप में रखनेवाले निक्षेपागार हैं।



सेबी परिपत्र सं. डी एण्ड सी. सी./एफ.आइ.टी.टी.सी/सी.आइ.आर. 16 दि. 31-12-2002 के अनुसार बैंक ने दोनों निक्षेपागारों यानि एन.एस.डी.एल. और सी.डी.एस.एल. के साथ कुल स्वीकृत पूंजी तथा बैंक की कुल निर्गत और सूचीबद्ध पूंजी के समाधान के उद्देश्य हेतु और सेबी के निर्देशों के अंतर्गत आनेवाले अन्य मामलों में एक व्यवसायी कंपनी सचिव यानि मेसर्स के. के. राव एण्ड एसोसिएट्स, हैदराबाद द्वारा त्रैमासिक आधार पर सचिवीय लेखा परीक्षा कारवायी। इस संबंध में निर्गत प्रमाणपत्र को बैंक के निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया और बी.एस.ई. तथा एन.एस.ई. को अग्रोषित किया गया जहाँ पर बैंक के ईक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध किया गया है।

दि. 31-03-2010 तक बैंक के कुल शेयर होल्डिंग के (इनमें भारत सरकार की होल्डिंग शामिल है) 94.87% को बेकागज़ीकरण किया गया है।

दि. 31-3-2010 की स्थिति के अनुसार शेयरधारकों द्वारा बेकागज़ी रूप में और कागज़ी रूप में रखे गए शेयरों के विवरण:

	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयर होल्डिंग की प्रतिशतता
क. कागज़ी रूप में	1,27,926	2,67,47,992	5.13
ख. बेकागज़ीकृत			
एन.एस.डी.एल.	1,00,751	14,14,74,745	27.10
सी.डी.एस.एल.	24,723	35,37,45,545	67.77
कुल	2,53,400	52,19,68,282	100.00

Performance of the Bank's share price vis-à-vis BSE Sensex and Bank Nifty are as under:



4. Share Transfer System, Registrar and Transfer Agents

(a) Physical Shares

The Bank ensures that all transfers of physical shares are duly effected within a period of one month from the date of their lodgment with the Registrar and Share Transfer Agents. The Board has constituted Share Transfer Committee, which meets at regular intervals for effecting transfer of shares issued by the Bank. The Share Transfer Committee met 4 times during the year 2009-10.

The Bank has appointed M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd., Hyderabad as its Registrars and Share Transfer Agents. Share transfers, Dividend payments and all other investor related activities are attended to and processed at the office of the Registrars and Share Transfer Agents. Shareholders may lodge the transfer deeds and any other documents, grievances and complaints with the Registrars and Transfer agents at the following address:

M/s Karvy ComputerShare (P) Ltd.
 UNIT: SyndicateBank
 Plot No. 17 to 24,
 Vithalrao Nagar, Madhapur,
 HYDERABAD – 500 081
 Phone No. 040 44655000 – Extn. 116 or 040 44655116 (D)
 Fax No. 040 23420814

(b) Shares in Demat Form

The Bank's shares are traded compulsorily in demat mode under ISIN Code INE667A01018 with National Stock Exchange of India Ltd. and Scrip Code No.532276 with Bombay Stock Exchange Ltd. The National Securities Depository Ltd., (NSDL) and the Central Depository Services Ltd. (CDSL) are the depositories holding the Bank's share in demat mode.

In terms of SEBI's Circular No. D&CC/FITC/CIR-16 dated 31-12-2002, a Secretarial Audit is conducted on a quarterly basis by a Practicing Company Secretary, viz. M/s K K Rao and Associates, Hyderabad, for the purpose of reconciliation of the total admitted capital with both depositories i.e. NSDL and CDSL and the total Issued and Listed Capital of Syndicate Bank and in respect of other matters covered under the directions of SEBI. Certificate issued in this regard is placed before the Board of Directors of the Bank and forwarded to BSE and NSE, where the equity shares of the Bank are listed.

94.87% of the total shareholding (including Government of India holding) of the Bank has been dematerialized as on 31-03-2010.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by the Shareholders as on 31-03-2010 are as under:

	No. of Shareholders	No. of Shares	Percentage of Shareholding
A. PHYSICAL	1,27,926	2,67,47,992	5.13
B. DEMAT			
• NSDL	1,00,751	14,14,74,745	27.10
• CDSL	24,723	35,37,45,545	67.77
TOTAL	2,53,400	52,19,68,282	100.00

5. शेयरधारण का पैटर्न

31-03-2010 को सिंडिकेट बैंक की शेयरधारण पैटर्न (ईक्विटी शेयर पूंजी) निम्नानुसार है:

31-03-2010 को शेयरधारण पैटर्न

क्र. सं.	श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारण का प्रतिशत
ए.	प्रवर्तक का धारण		
1.	प्रवर्तक		
	क. भारत सरकार	34,69,68,282	66.47
	ख. विदेशी प्रवर्तक	कुछ नहीं	-
2.	सहमति से कार्य करनेवाले व्यक्ति	कुछ नहीं	-
	उप-जोड़	34,69,68,282	66.47
बी.	गैर-प्रवर्तक धारण		
1.	संस्थागत निवेशक		
	क. म्यूच्युअल फंड्स एवं यू.टी.आई.	3,21,647	0.06
	ख. बैंकों, वित्तीय संस्थाएँ, बीमा कंपनियाँ (केन्द्रीय/राज्य सरकारी संस्थाएँ/गैर-सरकारी संस्थाएँ)	6,18,49,954	11.85
	ग. एफ.आइ.आइ.	2,15,98,043	4.14
	उप-जोड़	8,37,69,644	16.05
2.	अन्य		
	क. निजी नैगम निकाय	2,72,41,733	5.22
	ख. भारतीय जनता	6,29,43,840	12.06
	ग. एनआरआइ/ओसीबी	9,25,106	0.18
	घ. अन्य	1,19,677	0.02
	उप-जोड़	9,12,30,356	17.48
	कुल जोड़	52,19,68,282	100.00

नोट: एनआरआइ/एफआइआइ सहित कुल विदेशी धारण 2,25,23,149 शेयर हैं और शेयरधारण का प्रतिशत कुल ईक्विटी का 4.32% है।
1% से अधिक शेयर रखनेवाले बैंक के शेयरधारकों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

शेयरधारकों के नाम	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारण का %
भारत सरकार	34,69,68,282	66.47
निदेशक, वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) संसद मार्ग नई दिल्ली		
भारतीय जीवन बीमा निगम, योगक्षेम, जीवन बीमा मार्ग, मुंबई	5,77,21,685	11.06
यू.एन.ओ. मेटल्स लिमिटेड	1,17,20,000	2.25
ए.के.जी. फिन्वेस्ट लिमिटेड	94,10,000	1.80
मॉक्रेरी बैंक लिमिटेड	63,88,376	1.22

6. दि. 31-03-2010 को शेयर वितरण पैटर्न

शेयरधारकों की संख्या	कुल की प्रतिशतता	नाममात्र मूल्य के शेयरधारण (रुपए)	शेयरों की सं.	रकम (रुपए)	कुल की प्रतिशतता
23,487	9.27	Upto 500	6,85,377	68,53,770	0.13
96,792	38.20	501-1000	95,88,731	9,58,87,310	1.84
59,421	23.45	1001-2000	1,09,37,805	10,93,78,050	2.10
20,797	8.21	2001-3000	58,75,487	5,87,54,870	1.13
29,934	11.81	3001-4000	1,18,65,306	11,86,53,060	2.27
7,792	3.07	4001-5000	37,12,892	3,71,28,920	0.71
10,440	4.12	5001-10000	80,48,503	8,04,85,030	1.54
4,112	1.62	10001-50000	81,58,906	8,15,89,060	1.56
297	0.12	50001-100000	21,88,829	2,18,88,290	0.42
328	0.13	100001 और अधिक	46,09,06,446	4,60,90,64,460	88.30
2,53,400	100.00	कुल	52,19,68,282	5,21,96,82,820	100.00

5. **Shareholding Pattern**

The shareholding pattern (equity share capital) of SyndicateBank as on 31-03-2010 is as follows:

SHAREHOLDING PATTERN AS ON 31-03-2010

Sl. No.	Category	No. of Shares held	Percentage of Shareholding
A.	Promoters' Holding		
1.	Promoters		
	a. Government of India	34,69,68,282	66.47
	b. Foreign promoters	NIL	
2.	Persons acting in concert	NIL	
	Sub Total	34,69,68,282	66.47
B.	Non –Promoter Holding		
1.	Institutional Investors		
	a. Mutual Funds and UTI	3,21,647	0.06
	b. Banks, Financial Institutions, Insurance Companies (Central/ State Government Institutions/ Non-government Institutions)	6,18,49,954	11.85
	c. FIIs	2,15,98,043	4.14
	Sub Total	8,37,69,644	16.05
2.	Others		
	a. Private Corporate Bodies	2,72,41,733	5.22
	b. Indian Public	6,29,43,840	12.06
	c. NRIs/OCBs	9,25,106	0.18
	d. Any Others	1,19,677	0.02
	Sub Total	9,12,30,356	17.48
	GRAND TOTAL	52,19,68,282	100.00

Note: Total foreign holding including NRI / FII is 2,25,23,149 shares and the percentage of shareholding is 4.32% of the total equity.

Details of Shareholders holding more than 1% of the Equity Share Capital are given below:

Name of the Shareholder	No. of Shares	% of Shareholding
Government of India The Director, Ministry of Finance Department of Economic Affairs (Banking Division) Sansad Marg, New Delhi	34,69,68,282	66.47
Life Insurance Corporation of India Yogakshema, Jeevan Bhima Marg, Mumbai	5,77,21,685	11.06
UNO Metals Ltd.	1,17,20,000	2.25
AKG Finvest Ltd.	94,10,000	1.80
Macquarie Bank Ltd.	63,88,376	1.22

6. **Distribution Pattern as on 31-03-2010**

No. of Shareholders	% age of total	Shareholding of Nominal Value of Rs.	No. of Shares	Amount (Rs.)	%age to total
23,487	9.27	Upto 500	6,85,377	68,53,770	0.13
96,792	38.20	501-1000	95,88,731	9,58,87,310	1.84
59,421	23.45	1001-2000	1,09,37,805	10,93,78,050	2.10
20,797	8.21	2001-3000	58,75,487	5,87,54,870	1.13
29,934	11.81	3001-4000	1,18,65,306	11,86,53,060	2.27
7,792	3.07	4001-5000	37,12,892	3,71,28,920	0.71
10,440	4.12	5001-10000	80,48,503	8,04,85,030	1.54
4,112	1.62	10001-50000	81,58,906	8,15,89,060	1.56
297	0.12	50001-100000	21,88,829	2,18,88,290	0.42
328	0.13	100001 and above	46,09,06,446	4,60,90,64,460	88.30
2,53,400	100.00	Total	52,19,68,282	5,21,96,82,820	100.00

7. दि. 31-03-2010 तक शेयरधारकों का भौगोलिक फैलाव

स्थान	कागजी			बेकागजी			कुल		
	शेयरधारकों की सं.	शेयरधारण की सं.	शेयरधारण की प्रतिशतता*	शेयरधारकों की सं.	शेयरधारण की सं.	शेयरधारण की प्रतिशतता*	शेयरधारकों की सं.	शेयरधारण की सं.	शेयरधारण की प्रतिशतता
दिल्ली									
जीओआई				1	346968282	66.47	1	346968282	66.47
अन्य	8309	2273201	0.44	10389	5294132	1.01	18698	7567333	1.45
चेन्नई	4067	841800	0.16	6318	2030992	0.39	10385	2872792	0.55
कोलकाता	1688	428501	0.08	3703	23375883	4.48	5391	23804384	4.56
मुंबई	4995	1217812	0.23	13618	90325648	17.30	18613	91543460	17.53
बेंगलूर	12227	2618271	0.50	11160	2917152	0.56	23387	5535423	1.06
हैदराबाद	4575	1017000	0.19	4917	1767290	0.34	9492	2784290	0.53
उडुपि	2037	411100	0.08	1702	615703	0.12	3739	1026803	0.20
मंगलूर	1923	411625	0.08	2334	806900	0.15	4257	1218525	0.23
अन्य स्थान	88105	17528682	3.37	71332	21118308	4.05	159437	38646990	7.42
कुल	127926	26747992	5.13	125474	495220290	94.87	253400	521968282	100.00

* कुल शेयर धारण की प्रतिशतता

8. नामांकन सुविधा

बैंक का प्रत्येक शेयरधारक किसी भी समय निर्धारित ढंग से किसी एक व्यक्ति को नामित करे, जिसे उसकी मृत्यु के पश्चात् बैंक में धारित शेयर प्रदान किए जा सकें। जहाँ शेयर एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारित हैं तो संयुक्त धारक मिलकर नियत तरीके से एक व्यक्ति को नामित करें जिसे सभी संयुक्त धारियों की मृत्यु के संदर्भ में बैंक शेयरों के सभी हक प्रदान किए जाएं।

तदनुसार, कागजी रूप से शेयरों को रखनेवाले शेयरधारी बैंक के साथ या रजिस्ट्रार और बैंक के अंतरण अभिकर्ताओं के साथ विधिवत् भरे गए फार्म 2बी (संलग्न) दायर करने के जरिए नामांकन सुविधा उपलब्ध कर सकते हैं। बेकागजीकरण धारणों के संदर्भ में नामांकन न्यासी साझेदार द्वारा नियत की गई प्रक्रिया के अनुसार किया जाए।

9. अदावी लाभांश

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम जो दि. 16-10-2006 से लागू हुआ, के अनुसार बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 में एक नयी धारा 10 बी. शामिल की गयी है, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

- यदि कोई शेयरधारक लाभांश घोषित करने की तारीख से 30 दिनों की अवधि समाप्ति के बाद 7 दिनों के भीतर लाभांश का नकदीकरण/दावा नहीं करता है तो बैंक के चालू खाते में पड़ी ऐसी रकम को “वर्ष के लिए सिंडिकेट बैंक के अप्रदत्त लाभांश” नामक एक पृथक खाते में अंतरित किया जाए।
- “अप्रदत्त लाभांश खाते” में अंतरित धन राशि जो ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त या अदावी रहती है तो, उक्त धनराशि को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी की उप धारा (1) के अंतर्गत निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को अंतरित किया जाए।

तदनुसार, पिछले वर्षों से संबंधित अप्रदत्त लाभांश को सिंडिकेट बैंक अप्रदत्त लाभांश खाते में जमा किया गया है। अतएव, ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए अप्रदत्त या अदावी रहनेवाली ऐसी धनराशि को दि. 16-10-2013 से निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाएगा।

जिन शेयरधारकों ने बैंक के लाभांश वारंटों को न भुनाया हो, उनसे अनुरोध है कि वे सहायता के लिए बैंक के निवेशक संबंध केन्द्र, नेगम कार्यालय, बेंगलूर से संपर्क करें।

10. बकाया जी.डी.आर./ए.डी.आर. या अन्य परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख और इक्विटी पर संभाव्य प्रभाव:

बैंक ने कोई जी.डी.आर./ए.डी.आर./वारंट या अन्य परिवर्तनीय लिखतों को जारी नहीं किया है।

7. **Geographical Spread of Shareholders as on 31-03-2010**

Places	Physical			Demat			Total		
	No. of Share-holders	No. of Shares held	% hold-ing*	No. of Share-holders	No. of Shares held	% hold-ing*	No. of Share-holders	No. of Shares held	% hold-ing
Delhi									
GOI				1	346968282	66.47	1	346968282	66.47
Others	8309	2273201	0.44	10389	5294132	1.01	18698	7567333	1.45
Chennai	4067	841800	0.16	6318	2030992	0.39	10385	2872792	0.55
Kolkata	1688	428501	0.08	3703	23375883	4.48	5391	23804384	4.56
Mumbai	4995	1217812	0.23	13618	90325648	17.30	18613	91543460	17.53
Bengaluru	12227	2618271	0.50	11160	2917152	0.56	23387	5535423	1.06
Hyderabad	4575	1017000	0.19	4917	1767290	0.34	9492	2784290	0.53
Udupi	2037	411100	0.08	1702	615703	0.12	3739	1026803	0.20
Mangalore	1923	411625	0.08	2334	806900	0.15	4257	1218525	0.23
Other Places	88105	17528682	3.37	71332	21118308	4.05	159437	38646990	7.42
Total	127926	26747992	5.13	125474	495220290	94.87	253400	521968282	100.00

* Percentage to Total Shareholding.

8. **Nomination Facility**

Every shareholder of the Bank may, at any time, nominate, in the prescribed manner, a person to whom his / her shares in the Bank shall vest in the event of his / her death. Where more than one person holds the shares jointly, the joint holders may together nominate, in the prescribed manner, a person to whom all the rights in the shares of the Bank shall vest, in the event of death of all the joint holders.

Accordingly, the shareholders holding the shares in physical form can avail the nomination facility by filing Form 2B (annexed) with the Bank or with the Registrars and Share Transfer Agents of the Bank. In case of dematerialised holdings, nomination may be done as per the procedure prescribed by depository participant.

9. **Unclaimed Dividend**

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, which has come into force on 16-10-2006, has inserted a new Section 10 B in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, which provides as under:

- Within 7 days from the expiry of 30 days from the date of declaration, if any shareholder has not encashed/claimed the dividend, such amounts lying the bank current account, have to be transferred to a separate account styled "Unpaid Dividend of Syndicate Bank for the year"
- Any money transferred to the Unpaid Dividend account, which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer, shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund established under sub-section (1) of Section 205C of the Companies Act, 1956.

Accordingly, the unpaid dividend of previous years has been transferred to Unpaid Dividend accounts of Syndicate Bank and hence, such monies remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund, commencing from 16-10-2013.

Such of those shareholders, who have not encashed the Dividend Warrants of the Bank, are requested to approach Investor Relations Centre of the Bank at Corporate Office, Bengaluru for assistance.

10. **Outstanding GDRs/ADRs or any Convertible Instruments, Conversion Date and likely impact on Equity:**

The Bank has not issued any GDRs/ADRs/warrants or any convertible instruments.

11. गैर – परिवर्तनीय बंध पत्र

बैंक ने समय-समय पर वचन-पत्रों के रूप में गैर-परिवर्तनीय बंधपत्र जारी किए हैं। दि. 31-03-2010 की स्थिति के अनुसार बकाया रहनेवाले ऐसे बंधपत्रों के विवरण निम्नलिखित हैं:

श्रृंखला	आबंटन की तारीख	रकम करोड़ (रुपयों में)	अवधि (महीने में)	कूपन % (प्र.व.)	मोचन की तारीख
श्रृंखला IV	01-09-2003	100.00	82	6.10	01-07-2010
श्रृंखला V	26-03-2004	125.00	120	6.00	26-03-2014
श्रृंखला VI	29-09-2004	200.00	116	6.90	29-05-2014
श्रृंखला VII	20-12-2004	100.00	120	7.50	20-12-2014
श्रृंखला VIII	20-06-2005	500.00	118	7.40	20-04-2015
श्रृंखला IX	15-12-2005	500.00	112	7.60	15-04-2015
अपर टायर II श्रृंखला I	27-07-2006	619.60	180	9.35	27-07-2021
अपर टायर II श्रृंखला II	28-02-2007	200.10	180	9.30	28-02-2022
आइ.पी.डी.आई. * टायर I श्रृंखला I	25-03-2008	240.00	-	9.90	बेमियादी
लोवर टायर II श्रृंखला X	26-12-2008	300.00	120	8.60	26-12-2018
आइ.पी.डी.आई. * टायर I श्रृंखला II	12-01-2009	339.00	-	9.40	बेमियादी
लोवर टायर II श्रृंखला XI	15-06-2009	200.00	120	8.49	15-06-2019
आइ.पी.डी.आई. टायर I श्रृंखला III	29-06-2009	194.00	-	8.90	बेमियादी
	Total	3,617.70			

*आइ.पी.डी.आई.- नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखत

नोट: यदि आबंटन की तारीख से 10 वें वर्ष के अंत तक मांग विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है तो 0.50% प्र.व. की निर्धारित कूपन-दर आगे की अवधि के लिए देय होगी।

12. अदावी शेर

“सेबी” द्वारा प्रवर्तित सूचीकरण करार के खण्ड 5 ए के अनुसार तथा उनके परिपत्र सं- सेबी/सी एफ.डी/डी.आइ.एल/एल.ए/1/2009/24/04 दि. 24-04-2009 के अनुसार बैंक अदावी शेरों को किसी एक निक्षेपागार सहभागी के पास जारीकर्ता द्वारा खोले गए डिमैट उचंत खाते में जमा किया जाए।

बैंक एफ.पी.ओ. के अदावी शेरों के संबंध में एक एस्करो खाता रखता है। दि. 31-03-2010 की स्थिति के अनुसार उक्त खाते के ब्यौरे निम्नवत् हैं:

निक्षेपागार सहभागी का नाम	कार्बी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड
डी.पी.आइ.डी/सी.एल.आइ.डी.	आइ. एन 300394/15555052
नाम	के सी.एल./एस्करो खाता सिंडिकेट बैंक
निक्षेपागार सहभागी का पता	सं.: 21, एवेन्यू 4, बंजारा हिल्स, हैदराबाद - 500 034

बैंक के अदावी शेरों (एफ.पी.ओ) के विवरण निम्नवत् है:

विवरण	मामलों की सं.	शेरों की सं.
1. पिछले वर्ष के प्रारंभ में यानि दि. 01-04-2009 की स्थिति के अनुसार कुल शेरधारकों की संख्या और उचंत खाते में बकाया शेरों की संख्या	144	28,054
2. उन शेरधारकों की संख्या जिन्होंने वर्ष 2009-10 के दौरान उचंत खाते से शेरों के निर्गम/रजिस्टर के लिए संपर्क किया है	8	1,860
3. उन शेरधारकों की संख्या जिनको वर्ष के दौरान उचंत खाते से शेरों को अंतरित किया गया है।	8	1,860
4. वर्ष के अंत में यानि दि. 31-03-2010 की स्थिति के अनुसार कुल शेरधारकों की संख्या और उचंत खाते में बकाया शेरों की संख्या	136	26,194

“सेबी” के निदेशों के अनुसार, उचंत खाते में स्थित बकाया अदावी शेरों पर मतदान के अधिकार को तब तक रोक रखा जाए जब तक ऐसे शेरों के वास्तविक मालिक शेरों का दावा नहीं करते।

इस प्रकार बैंक ने सूचीकरण करार के खण्ड 5ए के उपबंधों का पालन किया है।

11. Non-Convertible bonds

The Bank has raised non-convertible bonds in the nature of promissory notes from time to time. The details of such bonds outstanding as on 31-03-2010 are as follows:

Series	Date of Allotment	Size (Rs. in Crore)	Tenor (in months)	Coupon (% p.a.)	Redemption Date
Series IV	01-09-2003	100.00	82	6.10	01-07-2010
Series V	26-03-2004	125.00	120	6.00	26-03-2014
Series VI	29-09-2004	200.00	116	6.90	29-05-2014
Series VII	20-12-2004	100.00	120	7.50	20-12-2014
Series VIII	20-06-2005	500.00	118	7.40	20-04-2015
Series IX	15-12-2005	500.00	112	7.60	15-04-2015
Upper Tier II Series I	27-07-2006	619.60	180	9.35	27-07-2021
Upper Tier II Series II	28-02-2007	200.10	180	9.30	28-02-2022
IPDI * Tier I Series I	25-03-2008	240.00	–	9.90	Perpetual
Lower Tier II Series X	26-12-2008	300.00	120	8.60	26-12-2018
IPDI* Tier I Series II	12-01-2009	339.00	–	9.40	perpetual
Lower Tier II Series XI	15-06-2009	200.00	120	8.49	15-06-2019
IPDI Tier I Series III	29-06-2009	194.00	–	8.90	Perpetual
	Total	3,617.70			

* IPDI – Innovative Perpetual Debt Instruments

Note: Step-up Coupon Rate of 0.50% p.a. is payable for further life, if Call Option is not exercised at the end of 10th year from the date of allotment.

12. Unclaimed Shares

In terms of Clause 5A of the Listing Agreement introduced by SEBI, vide their Circular No. SEBI/CFD/DIL/LA/1/2009/24/04 dated 24-04-2009, the unclaimed shares of the Bank shall be credited to a demat suspense account opened by the issuer with one of the depository participants.

The Bank is maintaining an Escrow account relating to Unclaimed Shares of FPO as per following details as on 31-03-2010:

Name of the Depository Participant	Karvy Stock Broking Ltd.
DPID /CLID	IN 300394 /15555052
Name	KCL/Escrow a/c Syndicate Bank
Address of the Depository Participant	No. 21, Avenue 4, Banjara Hills, Hyderabad – 500 034

The details of Unclaimed Shares of the Bank (FPO) are as under:

Particulars	No. of Cases	No. of Shares
1. Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the suspense account at the beginning of the previous year i.e. as on 01-04-2009	144	28,054
2. Number of shareholders who approached for issue / Register of shares from suspense account during the year 2009-10	8	1,860
3. Number of shareholders to whom shares were transferred from suspense account during the year 2009-10	8	1,860
4. Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the suspense account at the end of the year i.e. as on 31-03-2010	136	26,194

As per the directions of SEBI, the voting rights on the outstanding unclaimed shares lying in suspense account shall remain frozen, till the rightful owner of such shares claims the shares.

The Bank has, thus, complied with the provisions of Clause 5A of the Listing Agreement.

नैगम अभिशासन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र
सूचीकरण करार के खण्ड 49(vii) की शर्तों के अनुसार

सेवा में,

बैंक के सभी शेयरधारक

हमने दि. 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए, सिंडिकेट बैंक द्वारा स्टॉक एक्स्चेंज के साथ किए गए सूचीकरण करारों के संगत खण्डों में यथानिर्दिष्ट नैगम अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

नैगम अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधक वर्ग की जिम्मेदारी है। हमारी जांच, नैगम अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गयी प्रक्रियाओं तथा उसके कार्यान्वयन तक ही सीमित थी। यह न तो बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा है न ही उसकी राय की अभिव्यक्ति है।

बैंक द्वारा रखे गए अभिलेखों तथा दस्तावेजों और हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर यह हमारी राय है कि बैंक ने, स्टॉक एक्स्चेंज के साथ किए गए उपर्युक्त सूचीकरण करार में यथानिर्दिष्ट नैगम अभिशासन की निम्नलिखित शर्तों का पालन किया है।

1. निदेशक मंडल - घटन और क्षतिपूर्ति, समिति में निदेशकों की सदस्यता, निदेशक मंडल की बैठक और आचार संहिता (प्रारूपण बैंक के वेबसाइट में प्रस्तुत करना)
2. लेखा परीक्षा समिति - घटन, अधिकार, बैठक, भूमिका इत्यादि
3. सहायक कंपनियाँ
4. प्रकटीकरण
क) संगत पार्टी लेन-देन का आधार ग) जोखिम प्रबंधन ङ) निदेशकों का पारिश्रमिक इत्यादि
ख) लेखाकरण प्रक्रिया घ) सार्वजनिक निगम की प्राप्य राशियों की उपयोगिता
5. वित्तीय विवरणों की समीक्षा के संबंध में सी.ई.ओ./सी.एफ.ओ. का प्रमाणीकरण
6. वार्षिक रिपोर्ट में नैगम अभिशासन पर रिपोर्ट
7. नैगम अभिशासन की शर्तों का पालन

हम यह कहना चाहते हैं कि शेयरधारकों तथा निवेशक शिकायत समिति द्वारा रखे गए अभिलेखों के अनुसार बैंक के विरुद्ध कोई भी निवेशक-शिकायत एक महीने से अधिक अवधि तक लंबित नहीं है।

हम आगे कहना चाहते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो बैंक की भावी अर्थक्षमता का आश्वासन देता है न ही उसकी दक्षता या प्रभावशीलता का, जिसके सहारे प्रबंधक वर्ग ने बैंक का कारोबार संभाला है।

कृते शेषाद्रि एण्ड एसोसियेट्स

सनदी लेखाकार

ह/

(के. एस. कृष्ण राव)

साझेदार

सदस्यता सं. 022427

स्थान : बेंगलूर

दिनांक : 13-04-2010

निदेशक मंडल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी/मुख्य वित्तीय अधिकारी का प्रमाणीकरण
(सूचीकरण करार के खण्ड 49 (v) के अंतर्गत)

दिनांक : 04-05-2010

में प्रमाणित करता हूँ:

क. मैंने वर्ष 2009-2010 के वित्तीय विवरणों और नकदी उपलब्धता विवरण की समीक्षा की है और कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार:

- इन विवरणों में कोई भी असत्य कथन शामिल नहीं है या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ा नहीं गया है या इसमें ऐसा कोई कथन शामिल नहीं है जो भ्रामक हो;
 - ये विवरण बैंक के कारोबार की सच्ची और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं और उन्हें वर्तमान लेखा मानदण्डों, प्रायोज्य विधियों तथा विनियमों का अनुपालन करते हुए तैयार किया गया है।
- ख. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक द्वारा ऐसा कोई लेन-देन नहीं किया गया है जो कपटपूर्ण, अवैध या बैंक की आचरण संहिता का उल्लंघन करता हो।
- ग. हम बैंक में आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और उसका निर्वहन करने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और कि हमने बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमने आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा या परिपालन की विसंगतियों, यदि कोई हो, जिसकी हम भली भांति जानकारी रखते हैं, और इन विसंगतियों का परिशोधन करने के लिए उठाए गए या उठाए जानेवाले कदमों को लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति के ध्यान में लाया है।
- घ. हमने लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित के संबंध में सूचना दी है:
- वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक नियंत्रण के मामलों में वर्ष 2009-10 के दौरान कए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन
 - वर्ष 2009-10 के दौरान लेखाकरण नीतियों में कए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन और जसका उल्लेख वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में किया गया है; और
 - हमारे ध्यान में आए महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के मामले और उनमें प्रबंधक वर्ग या किसी कर्मचारी का शामिल होना, यदि कोई हो, जिसका महत्वपूर्ण प्रभाव वित्तीय रिपोर्ट में बैंक की आंतरिक नियंत्रण पर पड़ता है।

ह/

(एस. के. अबरोल)

स्थान: बेंगलूर

महा प्रबंधक (लेखा) और मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/

(बसंत सेठ)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी

निदेशक मंडल के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक द्वारा
बैंक की आचार संहिता के अनुपालन संबंधी घोषणा

एतद्वारा पुष्टि की जाती है कि बैंक ने अपने मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के कर्मचारियों के लिए दि. 22-09-2005 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा निर्दिष्ट आचार संहिता को अपनाया है जिसका कार्यान्वयन दि. 01-10-2005 से हुआ है और आचार संहिता को बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

उपर्युक्त का अनुसरण करते हुए, पुनः अब यह पुष्टि की जाती है कि मंडल के सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के कार्मिकों ने दि. 31-03-2010 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की उपर्युक्त आचार संहिता का पालन करने की पुष्टि की है।

स्थान : बेंगलूर

दिनांक : 15-04-2010

ह/-

(बसंत सेठ)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

(In terms of Clause 49 (vii) of the Listing Agreement)

To All the Shareholders of the Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Syndicate Bank for the year ended 31-03-2010 as stipulated in the relevant Clauses of the Listing Agreements of the said Bank with the Stock Exchanges.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to the procedures and implementation thereof adopted by the Bank for ensuring the compliance of conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion of the financial statements of the Bank.

On the basis of the records and documents maintained by the Bank and the information and explanations given to us, in our opinion, the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreements with the Stock Exchanges detailed as under:

- 1) Board of Directors – composition, compensation, Membership of Directors in committees, Board Meetings and Code of Conduct (drafting and placing on the website of the Bank).
- 2) Audit Committee – Composition, Powers, meetings, role etc.
- 3) Subsidiary Companies
- 4) Disclosures:
 - a) Basis of related party transactions
 - b) Accounting treatment
 - c) Risk Management
 - d) Utilisation of public issue proceeds
 - e) Remuneration of Directors etc.
- 5) CEO/ CFO Certification with respect to review of financial statements
- 6) Report on Corporate Governance in Annual Report etc.
- 7) Compliance of conditions of Corporate Governance

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank as per records maintained by the shareholders and Investors' Grievance Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For SESHADRI & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Sd/-
(K. S. KRISHNA RAO)
Partner
Membership No. 022427

Place : Bangalore
Date : 13-04-2010

CEO/CFO CERTIFICATION TO THE BOARD

(Under Clause 49(V) of Listing Agreement)

Date: 04-05-2010

I/We Certify that –

- a. I/We have reviewed the financial statements and the cash flow statement for the year 2009-10 and that to the best of our knowledge and belief:
 - These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
 - These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations;
- b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year 2009-10 which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct;
- c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of the internal control, if any, of which we are aware of and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- d. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee -
 - Significant changes in internal control over the financial reporting during the year 2009-10;
 - Significant changes in accounting policies during the year 2009-10 and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
 - Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over the financial reporting.

Sd/-
(S. K. Abrol)

Place : BENGALURU

General Manager (Accounts) & Chief Financial Officer

Sd/-
(Basant Sethi)

Chairman & Managing Director and Chief Executive Officer

DECLARATION REGARDING COMPLIANCE WITH THE CODE OF CONDUCT OF THE BANK BY BOARD MEMBER AND SENIOR MANAGEMENT PERSONNEL

It is hereby confirmed that the Bank has on 22-09-2005 adopted the Code of Conduct for the Board Members and Senior Management Personnel as laid down by SEBI, for implementation with effect from 01-10-2005 and the said code of conduct is posted on the website of the Bank.

In pursuance of the above, it is now further confirmed that the Board Members and Senior Management Personnel have affirmed compliance with the aforesaid Code of Conduct of the Bank for the year ended 31-03-2010.

Place: Bangalore
Date: 15-04-2010

Sd/-
(Basant Sethi)
Chairman & Managing Director